स॰शी॰_दो सं॰

लोक सभा

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

.....22-11-2000..... को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

.....22-11-2000..... को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

~~अप्रैल, 2000/ चैत्र, 1922 (शक)~~

मूल्य : रु०

विषय सूची

पृष्ठ सं0

1. संयुक्त समिति की रचना.............

2. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन.. ....
3. विमत टिप्पण
4. समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक.. ....

5. सभा में यथा पुरःस्थापित विधेयक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-एक — संयुक्त समिति को विधेयक भेजे जाने हेतु लोक सभा में प्रस्ताव...............

परिशिष्ट-दो — संयुक्त समिति को विधेयक भेजे जाने हेतु लोक सभा की सिफारिश से सहमति व्यक्त करते हुए राज्य सभा में प्रस्ताव

परिशिष्ट-तीन — उन संघों, संगठनों, व्यक्तियों आदि की सूची, जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए.....

परिशिष्ट-चार — साक्षी, जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य दिया, की सूची

परिशिष्ट-पांच — संयुक्त समिति की बैठक का कार्यवाही सारांश......

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की रचना

श्री शरद पवार - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री रशीद अल्वी
3. श्री पवन कुमार बंसल
4. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
5. श्री समर चौधरी
6. श्रीमती भावनाबेन चीखलिया
7. श्री प्रिय रंजन दासमुंशी
8. श्री अनंत गुढे
* 9. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी
10. श्री सी. कुप्पुसामी
11. श्री भर्तृहरि महताब
12. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति
13. श्री पी.एच. पांडियन
14. श्री अनादि चरण साहू
15. डा० नीतिश सेनगुप्ता
16. श्री महेश्वर सिंह
17. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह
18. श्री बलराम सिंह यादव
19. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
20. श्रीमती वसुन्धरा राजे

राज्य सभा

** 21. श्री एम. वेंकैय्या नायडू
22. श्री वेद प्रकाश पी. गोयल
23. श्री रंगनाथ मिश्र
@ 24. श्री हंसराज भारद्वाज
25. श्री वी.पी. दुरईसामी

---

* मंत्री नियुक्त होने पर 7.11.2000 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

** मंत्री नियुक्त होने पर 25.10.2000 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

@ 2.4.2000 को सेवानिवृत्त हुए और 10.5.2000 से पुनः नियुक्त किए गए

26. श्री सी॰ रामचन्द्रय्या
27. श्री कुलदीप नैय्यर
#28. श्री संजय निरूपम
29. श्री एस॰ रामचन्द्रन पिल्लई
30. श्री अमर सिंह

सचिवालय

1.	श्री पी॰डी॰ टी॰आचारी	- संयुक्त सचिव
2.	श्री राम अवतार राम	- निदेशक
3.	श्री पी॰डी॰ मालवालिया	- अवर सचिव

एक. कार्मिक, लोक शिकायत और पेन्शन मंत्रालय के प्रतिनिधि

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

1.	श्री बी॰बी॰ टंडन	- सचिव
2.	श्री डी॰ सी॰ गुप्ता	- अपर सचिव
3.	श्री आर॰के॰ जैन॰	- निदेशक (सतर्कता)
4.	श्री जुगल किशोर	- अवर सचिव

दो. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि

(विधायी विभाग)

1.	श्रीमती सुषमा जैन	संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदात्री
2.	श्री एस॰आर॰ढलेटा	उप विधायी परामर्शदाता

2.4.2000 से सेवानिवृत्त हुए और 10.5.2000 से पुनः नियुक्त किए गए ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति, जिसे उक्त विधेयक सौंपा गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

2. यह विधेयक 20 दिसम्बर, 1999 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था । विधेयक को संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने हेतु प्रस्ताव कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, द्वारा 21 दिसम्बर, 1999 (परिशिष्ट एक) को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था ।

3. राज्य सभा ने उक्त प्रस्ताव को 23 दिसम्बर, 1999 को सहमति प्रदान की (परिशिष्ट दो)

4. राज्य सभा से प्राप्त संदेश लोक सभा-समाचार में 24 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशित हुआ था ।

समिति के सभापति की नियुक्ति 28 दिसम्बर, 1999 को की गई थी ।

5. समिति ने कुल बारह बैठकें की ।

6. समिति ने 24 जनवरी, 2000 को हुई अपनी पहली बैठक में विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर सामान्य चर्चा की । कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा विधेयक के विभिन्न उपबंधों के बारे में समिति को बताया गया । समिति ने विधेयक की विषय वस्तु में रुचि रखने वाले आम लोगों/संगठनों से 10 फरवरी, 2000 तक टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का निर्णय लिया । यह निर्णय लिया किया गया कि

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड 2 दिनांक 20.12.1999 को प्रकाशित ।

प्रेस, आकाशवाणी और दूरदर्शन (टेलीविजन) के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति की विषय वस्तु का व्यापक रूप से प्रचार किया जाए । समिति ने बैंकिंग और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों, सरकारी उपक्रमों संबंधी स्थायी समिति, कुछ [चुनिन्दा] मंत्रालयों के सचिवों तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक आदि जैसे कुछ विशेषज्ञों की राय सुनने का भी निर्णय लिया जैसा कि भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा सुझाव दिया गया था ।

7. समिति द्वारा अनेक संगठनों/व्यक्तियों इत्यादि से विधेयक के उपबंधों पर टिप्पणियों/सुझावों वाले 42 ज्ञापन प्राप्त किए गए । इस संबंध में सूची परिशिष्ट-तीन में दी गयी है ।

8. 15.2.2000 को हुई अपनी दूसरी बैठक में समिति ने विषय वस्तु पर अग्रणी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों के विचार सुने । समिति ने महसूस किया कि आगामी सत्र [~~बजट सत्र~~] बजट सत्र, 2000] के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक उनके लिए अपना कार्य पूरा करना संभव नहीं होगा क्योंकि उन्हें अभी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्तों, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक तथा आम लोगों, जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया था, की अभी राय सुननी है । समिति ने यह भी महसूस किया कि उसे अभी विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों से बड़ी संख्या में प्राप्त ज्ञापनों पर भी विचार करना है तथा साथ ही [एक] विधेयक के उपबंधों पर सदस्यों से प्राप्त होने वाले संशोधनों की सूचनाएं ; [दो] विधेयक पर खण्डवार विचार [तीन] प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार करना तथा उसे स्वीकार करना; [चार] प्रतिवेदन को स्वीकार किए जाने के पश्चात् सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले विमत्त टिप्पण, यदि कोई हों, को संलग्न करने जैसे विभिन्न चरणों को भी पूरा किया जाना है । अतः समिति ने प्रतिवेदन को सभा में प्रस्तुत करने का समय बजट सत्र, 2000 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाने हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया जिसकी बाद में अनुमति दी गई ।

9. समिति ने 16 मार्च, 2000 को हुई अपनी तीसरी बैठक में केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के विभिन्न उपबंधों पर पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के विचार सुने ।

10. समिति ने 11 मई, 2000 को हुई अपनी चौथी बैठक में रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग, उर्वरक विभाग तथा खान विभाग के सचिवों के विचार सुने । समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को मानसून सत्र, 2000 के अंतिम सप्ताह तक पुन: बढ़ाये जाने का अनुरोध करने का निर्णय लिया । लोक सभा द्वारा 15.5.2000 को इसकी अनुमति प्रदान की गई ।

11. समिति ने 16 मई, 2000 को हुई अपनी पांचवीं बैठक में परिवार कल्याण विभाग, लोक उद्यम विभाग, विनिवेश विभाग, राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग के सचिवों, आर्थिक कार्य विभाग के बैंकिंग तथा बीमा प्रभाग के विशेष सचिवों तथा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के भी विचार सुने ।

12. समिति ने 30 मई, 2000 को हुई अपनी छठी बैठक में अनेक व्यक्तियों/संगठनों से प्राप्त विभिन्न सुझावों के संबंध में संक्षिप्त विचार विमर्श किया । समिति ने आगामी बैठक में विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर तत्कालीन केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा सतर्कता आयुक्त के विचार सुनने का निर्णय लिया ।

13. समिति की 12 जून, 2000 को हुई सातवीं बैठक लोक सभा के वर्तमान सदस्य श्री राजेश पायलट के निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् स्थगित हो गई ।

14. 13 जून, 2000 को हुई आठवीं बैठक में समिति ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर श्री एन. विट्टल, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और श्री वी.एस. माथुर, सतर्कता आयुक्त के विचार जाने ।

15. उन व्यक्तियों, जिन्होंने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया, की सूची परिशिष्ट - चार में दी गई है ।

16. समिति ने 17 और 18 जुलाई, 2000 को हुई नौवीं और दसवीं बैठकों में समिति के सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधनों के आधार पर विधेयक के उपबंधों पर खण्डवार विचार किया ।

17. 31 अक्तूबर, 2000 को हुई बारहवीं बैठक में समिति ने निर्णय लिया कि (एक) समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य को संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाये ; (दो) विभिन्न लोगों से समिति को प्राप्त ज्ञापनों की दो-दो प्रतियां, संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात, संसद सदस्यों के संदर्भ के लिए संसद ग्रंथालय में रखी जायें । समिति ने अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर भी विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

18. विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों के संबंध में समिति की टिप्पणियां परवर्ती पैराओं में दी गई हैं ।

परिभाषाओं संबंधी खंड - 2.

19. समिति सिफारिश करती है कि विधेयक में 'सरकारी कंपनी' शब्द को उपयुक्त रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि इस संबंध किसी भी दुविधा से बचा जा सके ।

20. खण्ड 3 का उपखण्ड 2(ख) :- समिति ने केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा दिये गये सुझाव, कि निर्वाचन आयोग की भांति केन्द्रीय सतर्कता आयोग भी तीन सदस्यीय निकाय होना चाहिए न कि पांच सदस्यीय • जैसाकि विधेयक में प्रस्तावित है, को स्वीकार कर लिया । समिति का विचार है कि "तीन" युक्ति संगत संरचना है और सिफारिश की कि खण्ड 3 के उपखण्ड 2(ख) में "चार" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित किया जाए । परिणामस्वरूप उपखण्ड 3 के पहले परन्तुक में यह निहित किया जाए कि विधेयक के उपखण्ड 3 के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) में उल्लिखित श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या दो से अधिक न हो । समिति उप खण्ड (3) के दूसरे परन्तुक का लोप करने की सिफारिश भी करती है, क्योंकि विद्यमान संशोधन को देखते हुए इसकी आवश्यकता नहीं है ।

समिति नोट करती है कि उपखण्ड 3(3)(क) और 3(3)(ख) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों को नियुक्त खण्ड (क) और (ख) में निर्धारित अर्हताओं वाले व्यक्तियों में से की जानी अपेक्षित है । समिति महसूस करती है कि इन दोनों उपखण्डों के बीच में "और" शब्द का आना यह दिखाता है कि ऐसे व्यक्तियों के पास उपखण्ड (क) और (ख) में निर्धारित दोनों अर्हतायें होनी चाहिए । अत: समिति सिफारिश करती है कि खण्ड 3 के उपखण्ड (क) और (ख) के बीच में आने वाले शब्द "और" को "अथवा" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए ।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में खण्ड 5

22. समिति महसूस करती है कि समरूपता रखने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल समान होना चाहिए । अत: समिति सिफारिश करती है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की भांति सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल भी खण्ड 5 के उपखण्ड (2) में उल्लिखित 3 वर्ष के बजाए 4 वर्ष किया जाना चाहिए ।

23. समिति का विचार है कि सेवा निवृत्ति या पद छोड़ने के पश्चात् केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों को भारत सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में कोई और रोजगार प्राप्त करने से निर्हर कर दिया जाए।तथापि, सतर्कता आयुक्त अपने कार्यकाल की शेष अवधि के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किये जाने के लिए अर्हर होंगे । समिति को स्मरण है कि ऐसा उपबंध केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, जो लोक सभा में पहले पुर:स्थापित किया गया था परन्तु बाद में व्यपगत हो गया था, में किया गया था ।/अत: समिति सिफारिश करती है कि खण्ड 5 में तदनुसार संशोधन किया जाए ।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों को हटाये जाने के संबंध में खण्ड 6

24. समिति महसूस करती है कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों को उनके पद से हटाए जाने हेतु विधेयक के विद्यमान उपबंधों के अतिरिक्त "असमर्थता" के आधार पर पद से भी हटाये जाने का उपबंध भी किया जाना समुचित चाहिए । समिति इस संदर्भ में खण्ड 6 में तदनुसार/संशोधन करने की सिफारिश करती है ।

25. समिति यह भी महसूस करती है कि खण्ड 6 में उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए ताकि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त यदि आवश्यक समझा जाये, कार्यालय न आयें अर्थात् उनके विरुद्ध चल रही जांच, यदि कोई हो, के तय समाप्त होने तक अपने कार्यालीय कर्त्तव्यों का निर्वहन न करें ।

केन्द्र सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्तियों के संबंध में खण्ड 7

26. समिति नोट करती है कि वास्तविक व्यवहार में केन्द्र सरकार, आयोग से परामर्श करके आयोग के स्टाफ के सदस्यों की संख्या तथा उनकी सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाती है, अतः यह उपयुक्त होगा यदि इसे खण्ड में विहित कर दिया जाए । अतएव, समिति सिफारिश करती है कि खण्ड 7 में तदनुसार संशोधन किया जाए

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कृत्यों तथा शक्तियों के संबंध में खण्ड 8

27. समिति पाती है कि खण्ड 8(1)(क) के उपबंधों के अनुसार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 जिसके तहत "लोक सेवक" को आरोपित किया जा सकता है के अंतर्गत किए गए अपराधों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कृत्यों के अधीक्षण का अधिकार है । इस संबंध में, समिति नोट करती है कि "लोक सेवक" शब्द इस विधेयक के क्षेत्र के अनुरूप सिविल सेवकों तक ही सीमित नहीं है । अतएव, समिति सिफारिश करती है कि खण्ड 8(1)(क) में लिखित "लोक सेवक" शब्द को इस तरह से पढ़ा जाए "उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट लोक सेवक इसी प्रकार खंड 8(1)(ग) में आने वाले शब्द "लोक सेवक" को स्पष्ट किया जाए और इस प्रकार पढ़ा जाए "उपधारा (2) में "विनिर्दिष्ट लोक सेवक"

18. समिति ने यह भी पाया कि खण्ड 8(1)(क) को स्वतंत्र समीक्षा समिति की सिफारिशों पर अंत:स्थापित किया गया है जिसने सिफारिश की थी कि सीबीआई को सभी दबावों से पृथक रखने और अन्य प्रयोजनों से इनका अधीक्षण केन्द्रीय सतर्कता आयोग जैसे स्वतंत्र अभिकरण के पास होना चाहिए । तथापि, समिति महसूस करती है कि इस खण्ड में प्रयुक्त शब्द "अधीक्षण" का अर्थ सीमित होना चाहिए ताकि इससे सीबीआई के कार्यकरण में अनावश्यक हस्तक्षेप न हो । इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि यह उपबंध करने के लिए कि "आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग ऐसी रीति में नहीं करेगा जिससे कि यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन से किसी मामले का अन्वेषण या निपटारा विशिष्ट रीति में करने की अपेक्षा करता हो" विधेयक के खण्ड 19 के विद्यमान परन्तुक को उपखण्ड 8(1)(क) का भाग बनाया जाए । समिति ने परिणामस्वरूप यह सिफारिश भी की कि विद्यमान खण्ड 19 को खण्ड 8 का भाग बनाया जाए जहां इसे नए उपखण्ड के रूप में अंत:स्थापित किया जाए और तदनुसार खण्ड 19 का अलग खण्ड के रूप में लोप किया जाए ।

19. समिति ने यह भी पाया कि खण्ड 8 (1)(छ) में प्रयुक्त शब्दावली "सतर्कता प्रशासन के ऊपर अधीक्षण रखना" से इस बात की संभावना है कि सरकारी निकायों के रोजमर्रा के प्रशासकीय कार्यकरण में हस्तक्षेप करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को असीमित शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी । इस संबंध में समिति ने पाया कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जोकि एक सलाहकार निकाय है, ने अनेक मामलों के संबंध में केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को कई अनुदेश जारी किये हैं जोकि वास्तव में सरकार के कार्यकारी प्राधिकरण के दायरे में आता है और जिससे उनके कार्यान्वयन में कठिनाई हुई है । कानूनी सलाह के अनुसार "अधीक्षण" शब्द में सामान्य नीति निर्देश प्रदान करने की शक्तियां भी शामिल हैं ।

इसके अतिरिक्त, संसद के प्रति केन्द्र सरकार उत्तरदायी है और एक सांविधिक निकाय होने के कारण केन्द्रीय सतर्कता आयोग संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा । इसलिए, इसे उपयुक्त माना गया है कि सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में सामान्य नीति निदेश देने की शक्तियां केन्द्र सरकार के पास रहे । "अधीक्षण" शब्द के अनैच्छिक परिणाम को दूर करने की दृष्टि से समिति सिफारिश करती है कि विद्यमान उपखण्ड 8(1) (छ) इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए :-

(छ) उस सरकार द्वारा सतर्कता मामलों के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसायटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन के उपर अधीक्षण रखना ।

"परन्तु यह कि इस खण्ड में शामिल कोई भी बात आयोग को सरकार द्वारा जारी सतर्कता मामलों संबंधी निदेशों के समरूप सतर्कता प्रशासन पर निगरानी रखने के लिए प्राधिकृत तथा नीतिगत मामलों के संबंध में कोई निदेश जारी करने की आयोग को शक्ति प्रदान करना नहीं समझा जाएगा ।"

30. विभिन्न साक्षियों जिनमें बैंक/सरकारी उपक्रम के प्रतिनिधियों सम्मिलित हैं के विचार सुनने के पश्चात् और बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण जहां विभिन्न संगठनों में सामान्य वाणिज्यिक निर्णय में जोखिम उठाना एक हिस्सा बन गया है, पर विचार करते हुए समिति की राय है कि कि केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के खण्ड 8(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित स्तरों के अधिकारियों को अधिसूचित कर सकती है :

(क) केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा अथवा के अन्तर्गत स्थापित निगम, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा नियंत्रित सरकारी कंपनियों, सोसायटियों और अन्य स्थानीय अधिकरण के मामले में बोर्ड स्तर से एक स्तर नीचे के अधिकारी ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में स्केल पांच और उससे उपर के अधिकारी ।

आयोग की कार्यवाही के संबंध में खण्ड 9

31. समिति इस सुझाव से सहमत है कि नीति और प्रक्रिया के सभी मामले में निर्णय केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के बहुमत से लिया जाना चाहिए। जैसाकि निर्वाचन आयोग में होता है । समिति सिफारिश करती है कि इस संबंध में अधिनियम में उपयुक्त उपबंध किया जाये ।

वार्षिक प्रतिवेदन संबंधी खंड 14

32. समिति ने पाया कि अधिकांश मामलों में, संसद में प्रतिवेदन प्रति वर्ष प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं । इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट वर्ष की समाप्ति पर छः माह के अन्दर आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

आयोग द्वारा किए गए निर्देश पर की गई किसी जांच की रिपोर्ट का उस आयोग को भेजे जाने के संबंध में खण्ड 17

33. समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि खण्ड 17 के उप खण्ड (3) के परन्तुक में प्रयुक्त शब्द "कर सकेगा" के स्थान पर "करेगा" प्रतिस्थापित किया जाए ताकि केन्द्र सरकार द्वारा आयोग की सलाह से असहमत होने के कारणों से आयोग को संसूचित करना अनिवार्य बनाया जाए ।

कतिपय मामलों में आयोग से परामर्श करने के संबंध में खण्ड 20

34. समिति ने टिप्पणी की है कि खण्ड में मुद्रण संबंधी गलती है और सिफारिश करती है कि गलती दूर करने के लिए "और आयोग" के स्थान पर "आयोग" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ।

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की नियुक्ति आदि के संबंध में खण्ड 26

35. समिति ने टिप्पणी की है कि खण्ड 26 में यथा उल्लिखित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के स्थान पर "विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999" प्रतिस्थापित किया गया है । इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि तदनुसार खण्ड में संशोधन किया जाए ।

36 समिति आगे सिफारिश करती है कि खंड 26 (क) के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशक के पद के लिए नामों की सिफारिश करने वाली समिति में सतर्कता आयुक्तों के नाम भी सदस्य के रूप शामिल किये जाने चाहिए ।

37. समिति आगे टिप्पणी करती है कि खण्ड 26 के उपखण्ड (ङ) के उपबंधों के अनुसार खण्ड 26 के उपखण्ड (क) में उल्लिखित समिति प्रवर्तन उपनिदेशक से उच्च स्तर के पदों की नियुक्ति के लिए अधिकारियों की सिफारिश तथा ऐसे अधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार करने अथवा उसमें कटौती करने की भी सिफारिश करेगी । समिति चाहती है कि इस उपबंध में समुचित रूप से संशोधन किया जाए ताकि ऐसी सिफारिश प्रवर्तन निदेशक से विचार-विमर्श के बाद की जा सके ।

38. समिति आगे चाहती है कि निदेशक, डी एस पी ई के चयन की भांति निदेशक के चयन के लिए सत्यनिष्ठा और अनुभव की अपेक्षाएं भी विहित की जानी चाहिए

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन के संबंध में खण्ड 27

39. समिति टिप्पणी करती है कि उपखण्ड (क) में "केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 1999" शब्द दिया है। इस संबंध में, समिति महसूस करती है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक बहुत जल्दी करने पर भी वर्ष 2000 में ही पारित किया जा सकेगा इसलिए उसमें उल्लिखित वर्ष "1999" के स्थान पर वर्ष "2000" प्रतिस्थापित किया जाए ।

40. समिति यह सिफारिश भी करती है कि खण्ड 27 (ख) के अंतर्गत, डीएसपीई के निदेशक की नियुक्ति हेतु नाम की सिफारिश करने वाली समिति में सतर्कता आयुक्तों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए ।

41. समिति नोट करती है कि समिति के समक्ष उपस्थित होने वाले बहुत से साक्षियों ने निर्णय लेने के स्तर पर नेकनीयती से की गई कार्यवाही को संरक्षण देने की आवश्यकता की बात कही है । इस समय विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान है कि निर्णय लेने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला रजिस्टर करने के लिए आयोग अथवा विभाग प्रमुख से पूर्व स्वीकृति ली जाए । अभी निर्णय लेने वाले व्यक्ति के के लिए कोई संरक्षण उपलब्ध नहीं है । इस संबंध में, समिति नोट करती है कि पूर्व में जो

संरक्षण था वह सरकार की पूर्व स्वीकृति "एक्स निदेश" के रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता थी जिसे उच्चतम न्यायालय ने बरतरफ कर दिया था । समिति महसूस करती है कि इस तरह का संरक्षण उसी रूप में वापस किया जाए जो पूर्व में था और यह इच्छा व्यक्त करती है कि अधिनियम में उपयुक्त प्रावधान करके निर्णय लेने वाले वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पूर्व अनुमति देने की शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित की जानी चाहिए । इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि विधेयक के खण्ड 27 में तदनुरूप संशोधन किया जाये ताकि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में इस आशय की एक नयी धारा 6 क जोड़ी जा सके ।

42. समिति आगे टिप्पणी करती है कि डी एस पी ई के निदेशक को नियुक्त करते समय, इस बात का उल्लेख किया गया है कि उसकी नियुक्ति एक ऐसी चयन समिति द्वारा की जानी चाहिए जो डी एस पी ई के निदेशक के विचारों पर ध्यान देगी । चूंकि, यह स्पष्ट है कि ऐसा चयन डी एस पी ई के निदेशक की सेवानिवृत्ति के बाद ही किया जाएगा इसलिए समिति का यह विचार है कि इस संबंध में किसी अस्पष्टता से बचने के लिए यदि "निदेशक" के स्थान पर "निवर्तमान निदेशक" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए तो अधिक उपयुक्त रहेगा । समिति तदनुरूप संशोधन की सिफारिश करती है ।

43. समिति निम्नलिखित सामान्य सिफारिशें भी करती है :-

(एक) समिति महसूस करती है कि यह निर्दिष्ट करने के लिए एक उपयुक्त खंड अंतर्विष्ट किया जाए कि सरकार की धारिता/इक्विटी 51 प्रतिशत से कम हो जाने की स्थिति में कंपनी के कर्मचारी केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सेवाधिकार से बाहर होंगे।

(दो) समिति महसूस करती है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच के शीघ्र निपटान के लिए नियमों/विनियमों में कुछ समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए जिसके अंतर्गत जांच पूरी की जानी चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए ।

(तीन) समिति यह भी महसूस करती है कि नियमों/विनियमों द्वारा यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी, यदि वह आयोग के कारण बताओ नोटिस का जवाब न दे सके तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है ।

(चार) समिति का यह विचार है कि सीमा शुल्क और आयकर मामलों की भांति नियमों/विनियमों में यह भी उपबंध किया जाना चाहिए कि वैसे शिकायतकर्ता को, जो किसी सरकारी कर्मचारी की छिपे हुए धन/परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए ठोस जानकारी प्रदान करता है उचित रूप से पुरस्कृत किया जाए ।

(पांच) समिति उद्देश्यों और कारणों के कथन के बारे में पैरा 7 पर अपना निरनुमोदन व्यक्त करती है क्योंकि इससे यह धारणा बनती है कि संसद न्यायपालिका के निदेश पर इस विधान को अधिनियमित कर रही है । यह कथन शक्तियों के विभाजन और राज्य के कृत्यों की मूलभूत संवैधानिक योजना की उपेक्षा करता है । भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायी शक्तियां विधानपालिकाओं में निहित हैं और एक विधान जनता की भावना को उनके द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है । अतः विधान का स्रोत केवल जनता तथा उसकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं पर आधारित हो सकता है ।

इसलिए समिति महसूस करती है कि उद्देश्यों और कारणों के कथन के बारे में पैरा 7 का लोप किया जाना चाहिए ।

44. • समिति यथा संशोधित विधेयक सभा को भेजती है ।

शरद पवार
सभापति
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
विधेयक, 1999 संबंधी
संयुक्त समिति

नई दिल्ली
नवम्बर, 2000

विस्तृत टिप्पण

I

मैंने प्रारूप विधेयक की धारा 8 (एक) में "अधीक्षण" शब्द के प्रयोग के बारे में अपनी आपत्ति पहले ही व्यक्त कर दी है । सामान्यत: मुझे इस शब्द पर आपत्ति नहीं होती लेकिन महान्यायवादी ने इस शब्द की जो व्याख्या की है उसके अनुसार अधीक्षण करने वाले प्राधिकरण को अधीक्षण शब्द के शब्दकोषीय अर्थ से अभिप्रेत कहीं अधिक शक्तियां प्राप्त होंगी । मैं चाहता हूं कि "अधीक्षण" शब्द के स्थान पर "पर्यवेक्षण" अथवा "निगरानी" शब्द का प्रयोग किया जाए । यह सही है कि इस विषय पर समिति में चर्चा के बाद एक प्रावधान किया गया है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हाल ही में जारी किए गए व्यापक प्रभाव वाले निर्देशों, जो उनके वैध व्यावसायिक कार्यकलापों में बाधक हैं, को देखते हुए मुझे यह लगता कि महान्यायवादी द्वारा की गयी व्याख्या जिससे मैं असहमत हूं, से क्या ऐसी धारणा को बल मिलता कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग एक सुपर पुलिस संगठन हो गया है जो सतर्कता प्रशासन के वैध क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्देश जारी करता है और जो सरकारी अधिकारियों अथवा सरकारी क्षेत्र के निगमों के सामान्य कामकाज में बाधा उत्पन्न करता है । अत: मेरा पुन: अनुरोध है कि "अधीक्षण" शब्द का प्रयोग न किया जाए तथा मेरा यह सुझाव है कि "पर्यवेक्षण" अथवा "निगरानी" शब्द के प्रयोग पर विचार किया जाए ।

ह0/-

(निर्मल सेन गुप्ता)

II

मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के संबंध में दो कारणों से विमत टिप्पण प्रस्तुत कर रहा हूं । इसमें से पहला संयुक्त सचिव तथा उससे वरिष्ठ अधिकारी अथवा केन्द्र सरकार द्वारा निगमों में नियुक्त किये गये ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जांच अथवा छानबीन करने के पहले केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त करने से संबंधित है ।

दूसरा, दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना (सी•बी•आई•) को जांच तथा अभियोजन कार्य सौंपे जाने से संबंधित है । यहां तक कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अधीक्षण के अधिकार को भी कम कर दिया गया है ।

सर्वप्रथम पहले बिन्दु पर विचार करें । विधेयक में जोड़े गये खण्ड 6क में उल्लेख किया गया है: 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन ऐसे किसी अपराध की, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, कोई जांच या अन्वेषण नहीं करेगा जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन कारित किए गए हैं जहां ऐसा अभिकथन :-

(क) केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर या उससे ऊपर के कर्मचारियों के संबंध में है ; और

(ख) ऐसे अधिकारियों के संबंध में है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों में, सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकारियों में नियुक्त किए गए हैं ।'

18 दिसम्बर, 1997 को जैन हवाला मामले (विनीत नारायण तथा अन्य बनाम केन्द्र सरकार) में सुनाये गये अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने एकल निदेश को दात कहे । इसका मतलब था कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो उच्च पदस्थ

नौकरशाहों के विरुद्ध संबद्ध विभाग के प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना अन्वेषण अथवा जांच कार्य शुरू कर सकता है । यह एक महत्वपूर्ण फैसला था । इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने अन्वेषण कार्य को शुरूआती स्तर पर ही दबा देने के कुचक्र अथवा षड्यंत्र को नकार दिया ।

हमारा अनुभव दर्शाता है कि कैसे विभागों के प्रमुख ने वर्षों तक अनुमति प्रदान करने में विलंब किया । यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि एक मामले में अनुमति क्यों दे दी गई जबकि दूसरे मामले में नहीं दी गई । संबंधित विभाग के प्रमुख के पास अनुपालन हेतु सरकार के कोई दिशा निदेश नहीं हैं । संपूर्ण प्रक्रिया ही तदर्थ, और हास्यास्पद है । उच्चतम न्यायालय ने ठीकही जंगल राज को समाप्त कर दिया ।

संयुक्त समिति ने स्वविवेक से उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार कर दिया तथा यथास्थिति बहाल कर दी । इसके परिणामस्वरूप कि सरकार एक बार फिर कसूरवार दूसरों के प्रभाव में आसानी से आने वाले तथा ऐसी प्रवृत्ति वाले अपचारी अधिकारी को बचाने का अधिकार प्राप्त कर लेगी तथा ऐसे सरकारी अधिकारी जो राजनीतिक मालिकों के लिए टूल का कार्य करते हैं कभी पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि उनके अभियोजन के लिए अनुमति नहीं मिलेगी ।

एक प्रकार का अदला-बदली का संबंध स्थापित हो जाता है । संभव है कि संबंधित अधिकारी पैसे भी बना रहा हो किंतु राजनीति स्वामी अपनी आँखें बंद रखते हैं क्योंकि वह उनकी सेवा भी करता है । भ्रष्ट अधिकारी की सत्ता के निकट होने के कारण तूती बोलती है । धीरे-धीरे, सरकारी सेवक क्या उचित है के प्रति सजग नहीं रह जाएंगे और यहां तक कि जो उचित है उसके अनुरूप कार्य करने की उनकी इच्छा भी समाप्त हो जाएगी ।

हमलोगों ने देखा कि किस तरह से आपातकाल के दौरान (1975-77) जन व्यवहार में अंतर्निहित नीतिसम्मत विचार सामान्यतया धूमिल पड़ गये थे। सरकारी सेवक तानाशाही के हाथों का खिलौना बन गए थे। उन्होंने शासकों के आदेशों और उनके संविधानेत्तर कार्यों का निष्पादन किया। राष्ट्र को घोर यातना सहनी पड़ी। एन०एन० वोहरा समिति ने राजनीतिज्ञों, सरकारी सेवकों और अपराधियों के बीच सांठ-गांठ, सरकार के समानान्तर माफिया के अस्तित्व की ओर इंगित किया था। भ्रष्ट लेन-देन, बेईमान फैसले और और दोषपूर्ण प्रणालियां इसके परिणाम हैं। संयुक्त समिति ने पूर्व स्वीकृति की पुरानी पद्धति को अपना कर जांच तंत्र द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया है। बेईमानी के लिए इनाम होगा। यह एक सामान्य कार्य व्यवहार होगा।

मेरी दूसरी आपत्ति उसी पुराने तंत्र को जिसमें कुछ कमियां हैं को अन्वेषण तथा अभियोजन का कार्य सौंपना है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का पुराना रिकार्ड अच्छा नहीं है। इसका राजनीतिकरण हो गया है। इसका स्तर घट कर सरकारी विभाग की ही भांति हो गया है जिसे राजनीतिक सर्वेसर्वा अपनी मर्जी से चलाते हैं। यह संपूर्ण कार्य इसलिए शुरू हुआ कि उच्चतम न्यायालय को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अन्वेषण तथा अभियोजन दोनों ही क्षेत्रों में कुछ कमियां दिखाई दीं। इसी कार्य को पुनः दोहराने का क्या प्रयोजन है?

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशकों को, जब उन्होंने कुछ अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विरुद्ध जांच करवाने का साहस किया, दण्डित किए जाने के दृष्टांत हैं। एक मामले में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक अधिकारी को एक प्रधान मंत्री ने फोन पर अनुदेश दिया कि वह उस अभियुक्त से पूछताछ नहीं करें। उस अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के एक निदेशक को एयरपोर्ट पर ही स्थानांतरण के आदेश दे दिए गए।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ संगत है :

"... केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कई वर्षों के बाद अन्वेषण का कार्य शुरू किया तथा वह भी इस न्यायालय की निगरानी के परिणामस्वरूप हुआ । ऐसा नहीं कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अन्वेषण के निष्कर्षों के आधार पर ऐसी धारणा बनायी कि अभियोजन के लिए कोई मामला नहीं बनता है जिससे कि उसकी पहले की निष्क्रियता का औचित्य ठहराया जा सके । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अनेक आरोप पत्र दायर किए जिससे पता चलता है कि इसके विचार में अभियोजन के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता था । सिर्फ यही बात यह बताने के लिए काफी है कि पूर्व की निष्क्रियता अन्यायोचित थी । हालाँकि, आरोप पत्र दायर करने के बाद अभियुक्त के आरोपमुक्त होने से पता चलता है कि उच्च न्यायालयों में लंबित विषयों का अंतिम परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, कम से कम विचारण न्यायालय प्रथम दृष्टया मामले से पहले किए गए अन्वेषण से संतुष्ट नहीं था । ये तथ्य यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि या तो अन्वेषण या अभियोजन दोनों ही में कमियाँ थीं । इसी तरह बड़ी संख्या में मामलों जहाँ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दायर किए गए आरोप पत्र के आरोपियों का आरोपमुक्त हो जाना हमें इसी निष्कर्ष पर ले जाता है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए मात्र निष्पक्ष तथा सक्षम अन्वेषण तंत्र की ही आवश्यकता नहीं अपितु उसके लिए सशक्त और सक्षम अभियोजना तंत्र की महता पर जितना भी बल दिया जाए कम है ।"

यह बेहतर होता यदि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अंतर्गत रख दिया जाता । यह अधिक स्वतंत्रता से कार्य कर सकेगा । किन्तु संयुक्त समिति ने एक स्वतंत्र समीक्षा समिति की सिफारिश कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सभी तरह के दबावों तथा प्रभावों से अलग रखने के लिए अधीक्षण की शक्तियाँ केन्द्रीय सतर्कता आयोग जैसी स्वतंत्र एजेन्सी के पास दी जाए, को भी अस्वीकार कर दिया है ।

इसके बजाए समिति ने कहा है कि आयोग अपनी शक्ति का इस प्रकार उपयोग नहीं करेगा जिससे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को किसी मामले की जाँच या निपटान एक विशिष्ट ढंग से करने की आवश्यकता पड़े। समिति द्वारा इसे लागू करने की बात तो अलग रही वह इस पर विचार तक नहीं करना चाहती।

जैन हवाला मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की दिलचस्पी विशेष न्यायाधीश श्री वी.बी. गुप्ता की टिप्पणी से स्पष्ट होती है। जिन्होंने अभियोजन पक्ष की दलील को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा: "मेरी समझ में यह नहीं आता है कि अभियोजन पक्ष अधिनियम की धारा 13{1}{ई} के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध जांच क्यों नहीं कर सका जबकि अभियोग पत्र में लगाये गये आरोपों से प्रथमदृष्ट्या यह स्पष्ट होता है कि इस उपधारा के अंतर्गत अपराध हुआ है। (उपधारा 13{1}{ई} आय से अधिक परिसंपत्तियों से संबंधित है)।

स्वतंत्र एजेंसी का कोई विकल्प नहीं है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्मिक प्रमुख रूप से भारतीय पुलिस सेवा और अन्य जांच सेवाओं से आते हैं। ऐसे कार्मियों राजनीतिक कार्यकारिणी और उच्च स्तर नौकरशाही के प्रति आभारी रहेंगे। जब तक स्वतंत्र एजेंसी स्थापित नहीं की जाती है ये कार्मिक सदैव अपनी पदोन्नति तथा भविष्य के बारे में सोचेंगे।

न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग की भांति इस एजेंसी को पूर्णतः स्वायत्त और राजनीतिक कार्यकारिणी और नौकरशाही से स्वतंत्र होना चाहिए। इस स्वतंत्र और स्वायत्त एजेंसी को दीर्घावधि में संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए परन्तु इसे तत्काल सांविधिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ऐसी स्वतंत्र एजेंसी को उच्च स्तर की न्यायपालिका, मुख्य निर्वाचन आयोग और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के समतुल्य होना चाहिए और इसके प्रमुख को अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति होना चाहिए और उसका निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता है तो किसी एजेंसी से उसके अपने राजनीतिक नेताओं और नौकरशाही के विरुद्ध प्रभावी जांच करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।

हांगकांग में स्थापित द इंडिपेंडेन्ट कमीशन अगेंस्ट करप्शन (आईसीएसी) आन्तरिक नियंत्रणों वाला एक स्वायत्त अभिकरण है । यह सफल सिद्ध हुआ है । आई सी ए सी जिसका गठन फरवरी 1974 में किया गया था पुलिस और सिविल सेवा से स्वतंत्र है । इसके तीन विभाग हैं, परिचालन विभाग जो जांच और गिरफ्तारी का कार्य देखता है, भ्रष्टाचार निवारक विभाग, जो अध्ययन करता है और विभाग में सुधार की सिफारिश करता है और सामुदायिक संबंध विभाग जो जन साधारण को शिक्षित करता है ।

केन्द्रीय मुख्य आयुक्त का सरकारी सेवा में होने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मेरी राय है कि जिस प्रकार अमेरिकी नागरिकों ने देश में परिवर्तन किया तथा सरकारी भ्रष्टाचार की चुनौती का सामना किया वह अनुकरणीय है ।

वाटरगेट काम्पलेक्स में राष्ट्रपति निक्सन द्वारा की गई शुरूआत अमेरिकी राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन लाया था । अमेरिकी कांग्रेस ने 1978 के गवर्नमेंट ऐक्ट में सदाचार अधिनियम को स्वीकार किया । अधिनियम के पूरे नाम का जिक्र करना आवश्यक है: "कतिपय संघीय एजेंसियों की स्थापना करने, संघीय सरकार के कतिपय पुर्नगठन को प्रभावी बनाने, संघीय सरकार के कार्यचालन में कतिपय सुधारों को लागू करने और सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं की विश्वसनीयता के संरक्षण और सम्वर्द्धन करने और अन्य उद्देश्यों के लिए।"

कानून में विधायी कार्मिकों द्वारा, कार्यपालिका का कार्मिकों द्वारा और न्यायपालिका के कार्मिकों द्वारा व्यापक वित्तीय प्रकटन और फाइलिंग का उपबंध है । इसमें सरकारी सदाचार कार्यालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है और सेवा निवृत्ति के उपरान्त हितों के समाधान का उपबंध और विशेष अभियोजक, जिसे बाद में संशोधित करके स्वतंत्र अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया, का उपबंध करने का प्रावधान है ।

वित्तीय प्रकटन का उपबंध न्यायिक अधिकारियों में संयुक्त राज्य अमरीका के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसके सह न्यायाधीश (एसोसिएट जस्टिस) तथा विभिन्न संघीय न्यायालयों के अधिकतर न्यायाधीशों पर लागू है। विधायी कार्मिकों में सीनेट तथा हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव के सदस्य आते हैं। इस तरह देश के सर्वोच्च पदाधिकारी विस्तृत वार्षिक वित्तीय प्रकटन, जिसमें उनकी सम्पत्ति, परिसम्पत्तियां तथा प्राप्त किये गये उपहार शामिल हैं, के अध्यधीन हैं। सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों संबंधी इस ब्यौरे की जांच सर्व-साधारण द्वारा की जा सकती है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका के बारे में बात करते हुए मैं एक विद्वान ब्रिटिश न्यायाधीश लार्ड डेनिंग के विचारों की ओर संसद का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं:

> "..... मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, कि देश के प्रत्येक सिपाही की भांति उसे कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए, और वह स्वतंत्र है भी। वह सेक्रेटरी आफ स्टेट के आदेशों के तहत कार्य नहीं करता है.... मैं कमीशनर आफ पुलिस और प्रत्येक चीफ कान्स्टेबल का यह कर्त्तव्य समझता हूं कि वह देश में कानून व्यवस्था बनाए रखे। उसे अपने लोगों को इस तरह तैनात करने हेतु कदम उठाने चाहिए कि अपराध का पता लगाया जा सके और ईमानदार व्यक्ति अपना कार्य शांतिपूर्ण ढंग से कर सकें। उसे निर्णय लेना चाहिए कि क्या संदिग्ध व्यक्तियों पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए, और यदि आवश्यकता हो तो अभियोजन शुरू करें अथवा देखें कि इसे शुरू किया गया है, परन्तु इन सभी व्यवस्थाओं में वह किसी का नौकर नहीं है वह केवल कानून के प्रति जवाबदेह है। सम्राट का कोई भी मंत्री उसे नहीं कर सकता कि इस स्थान अथवा उस स्थान का अवलोकन करे अथवा वह इस व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाए अथवा नहीं। कोई पुलिस अधिकारी उन्हें ऐसा नहीं कह सकता है। कानून लागू करने की जिम्मेवारी उस पर है। वह केवल और केवल कानून के प्रति जवाबदेह है...."

जिस बात से मुझे सबसे अधिक दु:ख हुआ वह यह कि प्रतिवेदन में राजनीतिज्ञों जिसमें संसद सदस्य भी सम्मिलित हैं, का कोई उल्लेख नहीं है । एक समय समिति ने सरकार को लोक पाल विधेयक के बारे में स्मरण कराने का निर्णय लिया था जो कि एक दशक से भी अधिक समय से अधर में लटका हुआ है । इस बात पर भी सहमति हुई थी कि समिति स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के महत्व पर बल देगी जिससे राष्ट्र को यह भरोसा दिलाया जा सके कि राजनीतिज्ञ से नहीं चाहते कि उन्हें एक अलग वर्ग समझा जाए और वह चाहते हैं कि उनमें से भ्रष्ट लोगों से सख्ती से निपटा जाए लेकिन कुछ कारणों से समिति भ्रष्टाचार पर काबू पाने में जितनी एतिहासिक भूमिका अदा कर सकती थी वह कर नहीं पाई ।

भारत में प्रत्येक राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार दूर करने की बातें करता है । प्रत्येक नेता नागरिक को प्रोत्साहित करता है कि उसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अभियान शुरू करना चाहिए । मोटे तौर पर देश के राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार में इस तरह लिप्त हैं कि नागरिक सत्तासीन लोगों से चाहे वे पक्ष में हो अथवा विपक्ष में हो, किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं करते ।

संयुक्त समिति की पहली बैठक के बाद संयुक्त समिति के सभापति को मैंने एक पत्र लिखा जिसमें से कुछ पंक्तियां मैं उद्धृत कर रहा हूं:

> "सतर्कता आयोग विधेयक समिति के एक सदस्य के रूप में मैं महसूस करता हूं कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का नेतृत्व करने के लिए समिति को स्वयं कुछ कदम उठाने चाहिए । मेरा सुझाव है कि समिति के सदस्य अपनी और अपने पति/पत्नी की परिसम्पत्तियों का ब्यौरा प्रति वर्ष दें । मैं राज्य सभा में नामनिर्दिष्ट होने के बाद से परिसम्पत्तियों का ब्यौरा दे रहा हूं । "

मैं विश्वास करता हूं कि विकास का केन्द्र बिन्दु शासन और भ्रष्टाचार का मामला है । छूत और भ्रष्टाचार छोटे मामले नहीं हैं । इन मामलों को खुले रूप से, निश्चयात्मक रूप से और हिम्मत से निपटाना होगा । इस दिशा में समझौतों से राष्ट्र को क्षति पहुंचेगी ।

सादर,

भवदीय

ह०/-

(कुलदीप नैय्यर)

1/11/2000

... सचिव और विधायी परामर्शी
राजभाषा खण्ड, विधायी विभाग
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक)

1999 का विधेयक संख्यांक 137

[दि सेन्ट्रल विजिलेन्स कमीशन बिल, 1999 का हिन्दी अनुवाद]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999

केन्द्रीय सरकार के, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्ग के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों की जांच करने या जांच कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 1999 है। **संक्षिप्त नाम**

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- **परिभाषाएं।**

(क) "केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ख) "आयोग" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सतर्कता आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन" से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अभिप्रेत है ; 1946 का 25

(घ) "सरकारी कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कंपनी अभिप्रेत है ; 1956 का 2

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "सतर्कता आयुक्त" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सतर्कता आयुक्त अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन ।

3. (1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नाम से ज्ञात, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए, एक निकाय का गठन किया जाएगा और केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 जो प्रवर्तन में नहीं रहा है, की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सतर्कता आयोग जो भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के तारीख 4 अप्रैल, 1999 के संकल्प संख्या 371/20/99--ए.वी.डी.-III के अधीन जारी रहा, इस अधिनियम के अधीन गठित किया गाय आयोग समझा जाएगा । 1999 का अध्यादेश 4

(2) आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा--

(क) एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त--अध्यक्ष ;

(ख) दो से अनाधिक सतर्कता आयुक्त--सदस्य ।

(3) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त ऐसे व्यक्तियों मे से नियुक्त किए जाएंगे जो

(क) अखिल भारतीय सेवा में या संघ की किसी सिविल सेवा मे या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर रह चुके हैं या है और जिनके पास सतर्कता, नीति बनाने और प्रशासन जिसके अन्तर्गत पुलिस प्रशासन भी है, से संबंधित विषयों का ज्ञान और अनुभव हो ; **या**

(ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में कोई पद धारण कर चुके है या पद पर हैं और ऐसे व्यक्ति जिनके पास वित्त, जिसके अन्तर्गत बीमा तथा बैककारी भी है, विधि, सतर्कता और अन्वेषणो मे विशेषज्ञता और अनुभव हो

परतु केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तो मे खड (क) या खंड (ख) मे निर्दिष्ट व्यक्तियो के एक ही प्रवर्ग से संबंधित दो से अधिक व्यक्ति नही होगे ।

* * * *

(4) केन्द्रीय सरकार, आयोग मे ऐसे निबंधनो और शर्तों पर जिन्हे वह उचित समझे, ऐसी शक्तियो का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जिन्हे आयोग विनियमो द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, एक सचिव नियुक्त करेगी ।

(5) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 या भारत सरकार के कार्मिक, लोक 1999 का अध्यादेश 4

शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के तारीख 4 अप्रैल, 1999 के संकल्प संख्या 371/20/99—ए.वी.डी.-III के अधीन नियुक्त केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, अन्य सतर्कता आयुक्त और आयोग का सचिव इस अधिनियम के अधीन उन्हीं निबंधनों और शर्तों के जिनके अन्तर्गत पदावधि भी है, अधीन रहते हुए वे, यथास्थिति, उक्त अध्यादेश या संकल्प के अधीन नियुक्त किए गए थे, नियुक्त किए गए समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "पदावधि" पद का यह अर्थ लगाया जाएगा जैसे वे केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी अन्य सतर्कता आयुक्त द्वारा अपना पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख से और इस अधिनियम के अधीन उस रूप में बने रहने की अवधि है ।

(6) आयोग का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा ।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति ।

4. (1) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे :

परंतु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति एक समिति की सिफारिश अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

(क) प्रधानमंत्री—अध्यक्ष ;

(ख) गृहमंत्री—सदस्य ;

(ग) लोक सभा में विपक्ष का नेता—सदस्य ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "लोक सभा में विपक्ष का नेता" में, जब किसी नेता को ऐसी मान्यता न मिली हो तो, लोक सभा में सरकार के विपक्ष के सबसे बड़े एकल दल का नेता सम्मिलित होगा ।

(2) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त की कोई नियुक्ति समिति मे किसी रिक्ति के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी ।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की सेवा की पदावधि और अन्य शर्तें ।

5. (1) उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, चार वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु पूरी करता है, इनमें से जो पहले हो, पद धारण करेगा । **केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, पद धारण करना समाप्त हो जाने पर, आयोग में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।**

(2) उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक सतर्कता आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, चार वर्ष की अवधि के लिए, या जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु पूरी करता है, इनमें से जो पहले हो, पद धारण करेगा :

परंतु प्रत्येक सतर्कता आयुक्त पद धारण करना समाप्त होने पर, धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति से केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु यह और कि यदि सतर्कता आयुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त हो जाता है, तो उसकी पदावधि, सतर्कता आयुक्त और केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर चार वर्ष से अधिक की नहीं होगी ।

(3) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष इस अधिनियम की अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए हुए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान

करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा ।

(4) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(5) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त धारा 6 में उपबंधित रीति से अपने पद से हटाया जा सकेगा ।

(6) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और प्रत्येक अन्य सतर्कता आयुक्त पद धारण करना समाप्त होने पर--

(क) * * * *

(ख) किसी राजनयिक समनुदेशन, किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और किसी अन्य ऐसे समनुदेशन अथवा नियुक्ति के लिए, जो विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से, अधिपत्र द्वारा की जानी अपेक्षित है ;

(ग) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी पद पर आगे नियुक्ति के लिए,

पात्र नहीं होगा ।

(7) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें--

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की वही होंगी जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की है ;

(ख) सतर्कता आयुक्त की वही होंगी जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की है

परंतु यदि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत कोई पेंशन (निःशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) प्राप्त कर रहा है तो केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त के रूप में सेवा की बाबत उसका वेतन, उतनी पेंशन की राशि के बराबर जिसके अंतर्गत पेंशन का संराशीकृत किया गया भाग और सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य प्रकार से समतुल्य पेंशन भी है किन्तु इसमें सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन नहीं है, कम कर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि यदि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित किसी निगम में अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में पहले की गई सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं ले रहा हो तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त अथवा सतर्कता आयुक्त की सेवा के संबंध में, उसके वेतन में से, उसके द्वारा ली जा रही सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परंतु यह भी कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त का हटाया जाना ।

6. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश किए जाने पर

की गई जांच के पश्चात्, यह रिपोर्ट किए जाने पर कि, यथास्थिति, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाना चाहिए, हटाया जाएगा ।

(2) राष्ट्रपति, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को, जिसकी बाबत उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राष्ट्रपति के आदेश पारित होने तक, निलंबित और यदि आवश्यक समझे तो जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को पद से हटा सकेगा, यदि–

(क) उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; या

(ख) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से भिन्न किसी वेतन पाने वाले नियोजन में लगा हुआ है ; या

(घ) वह राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है ; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं जिससे उसके, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(4) यदि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार में किसी रूप में सम्बद्ध या हितबद्ध है या जो जाता है या किसी भी प्रकार से उसके लाभ में या सदस्य के रूप से भिन्न अन्यथा उससे उद्भूत किसी फायदे या उपलब्धि में किसी निगमित कम्पनी के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य रूप में, भागीदार है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारिवृन्द के लिए नियम बनाने की शक्ति ।

7. केन्द्रीय सरकार, आयोग के परामर्श से, आयोग के कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में नियम बना सकेगी ।

अध्याय 3

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कृत्य और शक्तियां

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कृत्य और शक्तियां

8. (1) आयोग के निम्नलिखित कृत्य और शक्तियां होंगी--

(क) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के कार्यकरण का अधीक्षण करना जहां तक यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों अथवा किसी ऐसे अपराध के, जिससे उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा, अन्वेषण से संबंधित है ;।

1988 का 49

1974 का 2

(ख) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन को, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गए

1946 का 25

उत्तरदायित्वों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए निदेश देना :

परंतु आयोग, खंड (क) के अधीन अधीक्षण या इस खंड के अधीन निदेश देने की शक्तियों का प्रयोग करते समय, ऐसी रीति से शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा जिससे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन से किसी मामले का किसी विशिष्ट रीति में अन्वेषण करने या उसका निपटारा करने की अपेक्षा की जाए ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी ऐसे निर्देश पर जांच करना या जांच करवाना या अन्वेषण करना जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि केन्द्रीय सरकार या किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनी, सोसाइटी और किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी कर्मचारी ने लोक सेवक के रूप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन कोई अपराध अथवा कोई ऐसा अपराध, जिससे किसी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा, कारित किया है ; 1988 का 49 1974 का 2

(घ) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट पदाधिकारियों के ऐसे प्रवर्ग से संबंधित किसी पदधारी के विरुद्ध किसी परिवाद, जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि उसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन कोई अपराध अथवा कोई ऐसा अपराध जिससे किसी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा, कारित किया है, जांच करना या जांच करवाना या अन्वेषण करवाया जाना ; 1988 का 49 1974 का 2

(ङ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों का दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किए गए अन्वेषणों की प्रगति का अथवा किसी ऐसे अपराध का जिससे किसी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा, पुनर्विलोकन करना ; 1988 का 49 1974 का 2

(च) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभियोजन की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास लम्बित आवेदनों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना ; 1988 का 49

(छ) केन्द्रीय सरकार, किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों को ऐसे विषयों पर सलाह देना जो इसे उस सरकार, उक्त सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा या अन्यथा निर्दिष्ट किए जाएं ;

(ज) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन के ऊपर अधीक्षण रखना :

परंतु इस खंड में की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह आयोग को सतर्कता प्रशासन के ऊपर अधीक्षण का ऐसी रीति से प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है जो सरकार द्वारा जारी किए गए सतर्कता संबंधी विषयों से संबंधित निदेशों के संगत न हो, आयोग को किसी नीति विषयक मामलों के संबंध में निदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता हो ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्न प्रकार हैं :—

(क) संघ के मामलों के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य और केन्द्रीय सरकार के समूह "क" के अधिकारी ;

(ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वधीन, या नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के ऐसे स्तर के अधिकारी जिन्हें वह सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु उस समय तक, जब तक कि इस खंड के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाती है, उक्त निगमों, कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के सभी अधिकारी उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति समझे जाएंगे ।

आयोग की कार्यवाहियां ।

9. (1) आयोग की कार्यवाहियां इसके प्रधान कार्यालय में संचालित की जाएंगी ।

(2) आयोग, सर्वसम्मत विनिश्चय से, अपने कारबार के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया तथा केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्तों के बीच अपने कारबार के आबंटन को विनियमित कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, आयोग के सभी कारबार, यथासंभव, सर्वसम्मति से संव्यवहारित किए जाएंगे ।

(4) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य आयुक्तों की किसी विषय पर राय में भिन्नता है तो ऐसा विषय बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा ।

(5) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या यदि वह किसी कारण आयोग की किसी बैठक में उपस्थित होने के अयोग्य हो तो बैठक में उपस्थित ज्येष्ठतम सतर्कता आयुक्त, बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(6) आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी–

(क) आयोग में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि ; या

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि ; या

(ग) आयोग की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है ।

कतिपय परिस्थितियों में सतर्कता आयुक्त का केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करना ।

10. (1) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से हुई किसी रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सतर्कता आयुक्तों में से एक को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए, जब तक कि ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती, प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) यदि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, छुट्टी पर अनुपस्थित होने के कारण या अन्यथा अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो सतर्कता आयुक्तों में से ऐसा एक आयुक्त, जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे, उस तारीख तक जब कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त फिर से अपने कर्तव्यों को संभालता है, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के कर्तव्यों का निवर्हन करेगा ।

जांच में संबंधित शक्तियां ।

1908 का 5

11. आयोग को धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई जांच करते समय विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात् :–

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।

आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का विधिक कार्यवाहियां होना ।

12. आयोग दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा और आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए विधिक कार्यवाही समझी जाएगी । 1974 का 2 1860 का 45

अध्याय 4

व्यय और वार्षिक रिपोर्ट

आयोग के व्ययों का भारत की संचित निधि पर भारित होना ।

13. आयोग के व्यय जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त, आयोग के सचिव और कर्मचारिवृन्द को संदेय या उनकी बाबत कोई वेतन, भत्ते और पेंशन है, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

14. (1) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष रिपोर्टाधीन वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के कार्यकरण की बाबत एक पृथक् भाग होगा, जहां तक कि यह दिल्लीविशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 4 की उपधारा (1) से संबंधित है । 1946 का 25

(3) ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर राष्ट्रपति उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

15. आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, किसी सतर्कता आयुक्त, आयोग के सचिव या किसी कर्मचारी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त और कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना ।

16. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, प्रत्येक सतर्कता आयुक्त, आयोग का सचिव और प्रत्येक कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा । 1860 का 45

आयोग द्वारा किए गए निर्देश पर की गई किसी जांच

17. (1) आयोग द्वारा किए गए निर्देश पर किसी अभिकरण द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी ।

(2) आयोग ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर और उससे सुसंगत अन्य तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार और किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन निगमों, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों को आगे की कार्रवाई के लिए सलाह देगा । — की रिपोर्ट का उस आयोग को भेजा जाना ।

(3) केन्द्रीय सरकार और किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियां, सोसाइटियां और स्थानीय प्राधिकरण, आयोग की सलाह पर विचार करेंगे और समुचित कार्रवाई करेंगे :

परंतु जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनी, सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकरण, आयोग की सलाह से सहमत नहीं है वहां वह उसे अभिलिखित कारणों से आयोग को संसूचित करेगा ।

18. आयोग, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों से उस सरकार में और उक्त निगमों, सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक कार्य के ऊपर सामान्य पर्यवेक्षण करने को सशक्त बनाने के लिए रिपोर्ट, विवरणी और विवरण की मांग कर सकेगा । — जानकारी मांगने की शक्ति ।

19. * * * *

20. केन्द्रीय सरकार, संघ के मामलों के संबंध में लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों अथवा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के संबंध में सतर्कता या अनुशासनिक मामलों को शासित करने वाले कोई नियम अथवा विनियम बनाते समय आयोग से परामर्श करेगी । — कतिपय मामलों में आयोग से परामर्श किया जाना ।

21. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी । — नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) धारा 7 के अधीन कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें ;

(ख) धारा 11 के खंड (च) के अधीन विहित की जाने वाली सिविल न्यायालय की कोई अन्य शक्ति ; और

(ग) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

22. (1) आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम के असंगत नहीं है और उसके अधीन बनाए गए नियम ऐसे सभी विषयों का उपबंध करेंगे जिसके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत्त करने के प्रयोजनों के लिए उपबंध करना समीचीन है । — विनियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन सचिव के कर्तव्य और शक्तियां ; और

(ख) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ।

अधिसूचना, नियम आदि का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

23. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना और बनाया गया प्रत्येक नियम और आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम जारी किए जाने या बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना या नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह अधिसूचना, नियम या विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए या नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह अधिसूचना या नियम या विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु अधिसूचना या नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

24. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

विद्यमान सतर्कता आयोग से संबंधित उपबंध ।

25. धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आयोग के गठन से ही, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संकल्प संख्यांक 24/7/64-एवीडी, तारीख 11 फरवरी, 1964 द्वारा स्थापित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विद्यमान सतर्कता आयोग कहा गया है) जहां तक इसके कृत्य इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, उक्त कृत्यों का निर्वहन करता रहेगा, और--

(क) सतर्कता आयोग द्वारा की गई सभी कार्रवाइयां और किए गए विनिश्चय जहां तक ऐसी कार्रवाइयां और विनिश्चय इस अधिनियम के अधीन गठित आयोग के कृत्यों से संबंधित हैं, आयोग द्वारा किए गए समझे जाएंगे ;

(ख) सतर्कता आयोग के समक्ष लंबित सभी कार्रवाइयां जहां तक ये कार्यवाहियां आयोग के कृत्यों से संबंधित हैं आयोग को अंतरित की गई समझी जाएंगी और वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बरती जाएंगी ;

(ग) सतर्कता आयोग के कर्मचारी उन्हीं निबंधनो और शर्तों पर आयोग के कर्मचारी समझे जाएंगे ;

(घ) सतर्कता आयोग की सभी आस्तियां और दायित्व आयोग को अंतरित हो जाएंगी ।

1999 का 42

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की नियुक्ति, आदि ।

26. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय में एक प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करेगी :—

(i) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त — अध्यक्ष ;

(ii) सभी सतर्कता आयुक्त — सदस्य ;

(iii) केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय का भारसाधक भारत सरकार का सचिव — सदस्य ;

(iv) केन्द्रीय सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का भारसाधक भारत सरकार का सचिव — सदस्य ;

(v) केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का भारसाधक भारत सरकार का सचिव — सदस्य ;

(ख) समिति, सिफारिश करते समय, नियुक्ति के लिए पात्र अधिकारियों की सत्यनिष्ठा और उनके अनुभव पर विचार करेगी ;

(ग) भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का कोई व्यक्ति प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

(घ) प्रवर्तन निदेशक उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए पद धारण करेगा ;

(ङ) प्रवर्तन निदेशक को खंड (क) में निर्दिष्ट समिति की पूर्व सहमति के सिवाय स्थानांतरित नहीं किया जाएगा ;

(च) खंड (क) में निर्दिष्ट समिति, प्रवर्तन निदेशक के परामर्श से, प्रवर्तन उपनिदेशक के स्तर से ऊपर के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों की सिफारिश करेगी और प्रवर्तन निदेशालय में ऐसे अधिकारियों की पदावधि में विस्तारण या लघुकरण की भी सिफारिश करेगी ;

(छ) खंड (ङ) के अधीन की गई सिफारिश की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार उक्त सिफारिश को प्रभावी करने के लिए ऐसा आदेश पारित करेगी जो वह उचित समझे ।

1946 के अधिनियम संख्यांक 25 का संशोधन ।

27. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 में,—

(क) धारा 1 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

निर्वचन खंड ।

"1क. उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2000 में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है ;";

(ख) धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

विशेष पुलिस स्थापन का अधीक्षण और प्रशासन ।

1988 का 49

"4. (1) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन का अधीक्षण, जहां तक इसका संबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों के अन्वेषण से है, आयोग में निहित होगा ।

(2) जैसा उपधारा (1) में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, अन्य सभी मामलों में उक्त पुलिस स्थापन का अधीक्षण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा ।

(3) उक्त पुलिस स्थापन का प्रशासन केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी में (जिसे इसमें इसके पश्चात् निदेशक कहा गया है) निहित होगा जो उस पुलिस स्थापन के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो किसी राज्य में पुलिस बल के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रयोक्तव्य है और इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति ।

4क. (1) केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर निदेशक की नियुक्ति करेगी :—

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त — अध्यक्ष ;

(ख) सभी सतर्कता आयुक्त — सदस्य ;

(ग) केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय का भारसाधक भारत सरकार का सचिव — सदस्य ;

(घ) केन्द्रीय सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का भारसाधक भारत सरकार का सचिव — सदस्य ।

(2) समिति, उपधारा (1) के अधीन कोई सिफारिश करते समय पदावरोही निदेशक के विचारों को ध्यान में रखेगी ।

(3) समिति,—

(क) ज्येष्ठता, सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार निरोधक मामलों के अन्वेषण के अनुभव के आधार पर ; और

(ख) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अधीन गठित भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों में से चुनकर, 1951 का 61

निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अधिकारियों के एक पैनल की सिफारिश करेगी ।

निदेशक की सेवा के निबंधन और शर्तें ।

4ख. (1) निदेशक, अपनी सेवा की शर्तों से संबंधित नियमों में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, उस तारीख से जिसको वह पद ग्रहण करता है, दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए पद पर बना रहेगा ।

(2) निदेशक को धारा 4क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति की पूर्व सहमति के सिवाय स्थानांतरित नहीं किया जाएगा ।

संयुक्त निदेशक और उसके ऊपर के पदों के लिए नियुक्ति, उनकी पदावधि में विस्तारण और लघुकरण, आदि ।

4ग. (1) धारा 4क में निर्दिष्ट समिति, निदेशक से परामर्श करने के पश्चात् संयुक्त निदेशक और उसके ऊपर की पंक्ति के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों की सिफारिश करेगी और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन में ऐसे अधिकारियों की पदावधि के विस्तारण या लघुकरण की भी सिफारिश करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिश की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार उक्त सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए ऐसा आदेश पारित करेगी जो वह उचित समझे ।"।

(ग) धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"6क. (1) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन ऐसे किसी अपराध की, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, कोई जांच या अन्वेषण नहीं करेगा जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह भ्रष्टाचार निवारण 1988 का 49

अधिनियम, 1988 के अधीन कारित किए गए हैं जहां ऐसा अभिकथन,-

(क) केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर या उससे ऊपर के कर्मचारियों के संबंध में है ; और

(ख) ऐसे अधिकारियों के संबंध में है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों में, सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकारियों में नियुक्त किए गए हैं ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अनुमोदन ऐसे मामलों के लिए आवश्यक नहीं होगा जिनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में निर्दिष्ट विधिक पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयास करने के आरोप पर घटनास्थल पर ही उस व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित है ।"।

1988 का 49

निरसन और व्यावृत्ति ।

28. (1) भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) तारीख 4 अप्रैल, 1999 का संकल्प संख्या 371/20/99–एवीडी-III निरसित किया जाता है ।

1999 का अध्यादेश 4

(2) ऐसे निरसन और केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 के समाप्त हो जाने पर भी, उक्त संकल्प और उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई जिसके अंतर्गत की गई नियुक्तियां और की गई अन्य कार्रवाइयां हैं या उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई नियुक्ति इस अधिनियम या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन ऐसे की गई समझी जाएगी मानो इस अधिनियम द्वारा उन अधिनियमों में किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे ।

1946 का 25

1973 का 46

अनुसूची

[धारा 5 (3) देखिए]

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप -

"मैं, अमुक, जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग का केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (या सतर्कता आयुक्त) नियुक्त हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा ।"।

20 दिसम्बर, 1999 को लोक सभा में यथा पुरःस्थापित

पुनःमुद्रित

1999 का विधेयक संख्यांक 137

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999

खंडों का क्रम

अध्याय 1

प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम।
2. परिभाषाएं।

अध्याय 2

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति।
5. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की सेवा की पदावधि और अन्य शर्तें।
6. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त का हटाया जाना।
7. केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारिवृन्द के लिए नियम बनाने की शक्ति।

अध्याय 3

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कृत्य और शक्तियां

8. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कृत्य और शक्तियां।
9. आयोग की कार्यवाहियां।
10. कतिपय परिस्थितियों में सतर्कता आयुक्त का केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करना।
11. जांच से संबंधित शक्तियां।
12. आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का विधिक कार्यवाहियां होना।

अध्याय 4

व्यय और वार्षिक रिपोर्ट

13. आयोग के व्ययों का भारत की संचित निधि पर भारित होना।
14. वार्षिक रिपोर्ट।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

15. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
16. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त और कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना।
17. आयोग द्वारा किए गए निर्देश पर की गई किसी जांच की रिपोर्ट का उस आयोग को पेश जाना।

B/271LS

खंड

18. जानकारी मांगने की शक्ति।

19. निदेश देने की शक्ति।

20. कतिपय मामलों में आयोग से परामर्श किया जाना।

21. नियम बनाने की शक्ति।

22. विनियम बनाने की शक्ति।

23. अधिसूचना, नियम आदि का संसद् के समक्ष रखा जाना।

24. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

25. विद्यमान सतर्कता आयोग से संबंधित उपबंध।

26. प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की नियुक्ति, आदि।

27. 1946 के अधिनियम संख्यांक 25 का संशोधन।

28. निरसन और व्यावृत्ति।

अनुसूची

[दि सेन्ट्रल विजिलेन्स कमीशन बिल, 1999 का हिन्दी अनुवाद]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999

केन्द्रीय सरकार के, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों,
केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों,
सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्ग के लोक सेवकों
द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अधिकथित रूप
से कारित अपराधों की जांच करने या जांच कराने के लिए
एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उससे
संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 1999 है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सतर्कता आयोग अभिप्रेत है;

1946 का 25

(ग) "दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन" से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अभिप्रेत है;

(घ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ङ) "सतर्कता आयुक्त" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सतर्कता आयुक्त अभिप्रेत है।

अध्याय 2

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन।

3. (1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के नाम से ज्ञात, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए, एक निकाय का गठन किया जाएगा और केन्द्रीय सर्तकता आयोग अध्यादेश, 1999 जो प्रवर्तन में नहीं रहा है, की धारा 3 की अपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सर्तकता आयोग जो भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के तारीख 4 अप्रैल, 1999 के संकल्प संख्या 371/20/99-ए.वी.डी.-III के अधीन जारी रहा, इस अधिनियम के अधीन गठित किया गया आयोग समझा जाएगा।

(2) आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त—अध्यक्ष;

(ख) चार से अनधिक सतर्कता आयुक्त—सदस्य।

(3) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जो—

(क) अखिल भारतीय सेवा में या संघ की किसी सिविल सेवा में या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर रह चुके हैं या हैं और जिनके पास सतर्कता, नीति बनाने और प्रशासन जिसके अन्तर्गत पुलिस प्रशासन भी है, से संबंधित विषयों का ज्ञान और अनुभव हो; और

(ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में कोई पद धारण कर चुके हैं या पद पर हैं और ऐसे व्यक्ति जिनके पास वित्त, जिसके अन्तर्गत बीमा तथा बैंककारी भी है, विधि, सतर्कता और अन्वेषणों में विशेषज्ञता और अनुभव हो :

परन्तु केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों में खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के एक ही प्रवर्ग से संबंधित तीन से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति करते समय केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वे खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी एक ही सेवा या व्यक्तियों के प्रवर्ग से नहीं है।

(4) केन्द्रीय सरकार, आयोग में ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जिन्हें आयोग विनियमों द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, एक सचिव नियुक्त करेगी।

(5) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 या भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के तारीख 4 अप्रैल 1999 के संकल्प संख्या 371/20/99—ए.वी.डी.-III के अधीन नियुक्त केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, अन्य सतर्कता आयुक्त और आयोग का सचिव इस अधिनियम के अधीन उन्ही निबन्धनों और शर्तों पर जिनके अन्तर्गत पदावधि भी है, जिनके अध्यधीन वे, यथास्थिति, उक्त अध्यादेश या संकल्प के अधीन नियुक्त किए गए थे, नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

स्पष्टीकारण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "पदावधि" पद का यह अर्थ लगाया जाएगा जैसे वे केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी अन्य सतर्कता आयुक्त द्वारा अपना पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख से और इस अधिनियम के अधीन उस रूप में बने रहने की अवधि है।

(6) आयोग का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति।

4. (1) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे:

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति एक समिति की सिफारिश अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

(क) प्रधानमंत्री—अध्यक्ष;

(ख) गृहमंत्री—सदस्य;

(ग) लोकसभा में विपक्ष का नेता—सदस्य।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "लोक सभा में विपक्ष का नेता" में, जब किसी नेता को ऐसी मान्यता न मिली हो तो, लोक सभा में सरकार के विपक्ष के सबसे बड़े एकल दल का नेता सम्मिलित होगा।

(2) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त की कोई नियुक्ति समिति में किसी रिक्ति के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की सेवा की पदावधि और अन्य शर्तें।

5. (1) उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, चार वर्ष की अवधि के लिए, या जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु पूरी करता है, इनमें से जो पहले हो, पद धारण करेगा।

(2) उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक सतर्कता आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि वह 65 वर्ष की आयु पूरी करता है, इनमें से जो पहले हो, पद धारण करेगा।

(3) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष इस अधिनियम की अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए हुए प्ररूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा।

(4) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(5) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त धारा 6 में उपबंधित रीति से अपने पद से हटाया जा सकेगा।

(6) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और प्रत्येक अन्य सतर्कता आयुक्त, पद धारण करना समाप्त होने पर–

(क) आयोग में पुन: नियुक्ति के लिए;

(ख) किसी राजनयिक समनुदेशन, किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और किसी अन्य ऐसे समनुदेशन अथवा नियुक्ति के लिए, जो विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा से, अधिपत्र द्वारा की जानी अपेक्षित है,

पात्र नहीं होगा।

(7) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें—

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की वही होंगी जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की हैं;

(ख) सतर्कता आयुक्त की वही होंगी जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की है :

परन्तु यदि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत कोई पेंशन (निःशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) प्राप्त कर रहा है तो केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त के रूप में सेवा की बाबत उसका वेतन, उतनी पेंशन की राशि के बराबर जिसके अंतर्गत पेंशन का संराशीकृत किया गया भाग और सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य प्रकार से समतुल्य पेंशन भी है किन्तु इसमें सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन नहीं है, कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन स्थापित किसी निगम में अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में पहले की गई सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं ले रहा हो तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त अथवा सतर्कता आयुक्त की सेवा के संबंध में, उसके वेतन में से, उसके द्वारा ली जा रही सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी:

परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त का हटाया जाना।

6. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, केवल साबित कदाचार के आधार पर उसके पद से, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश किए जाने पर, की गई जांच के पश्चात्, यह रिपोर्ट किए जाने पर कि, यथास्थिति, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाना चाहिए, हटाया जाएगा।

(2) राष्ट्रपति, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी सतर्कता आयुक्त को, जिसकी बाबत उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राष्ट्रपति के आदेश पारित होने तक, निलंबित कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी अन्य सतर्कता आयुक्त को पद से हटा सकेगा, यदि–

(क) उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से भिन्न किसी वेतन पाने वाले नियोजन में लगा हुआ है; या

(घ) वह राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं जिससे उसके, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त के रूप में कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या कोई सतर्कता आयुक्त भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार में किसी रूप में सम्बद्ध या हितबद्ध है या हो जाता है या किसी भी प्रकार से उसके लाभ में या सदस्य के रूप से भिन्न अन्यथा उससे उद्भूत किसी फायदे या उपलब्धि में किसी निगमित कम्पनी के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य रूप में, भागीदार है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्मचारिवृन्द के लिए नियम बनाने की शक्ति।

7. केन्द्रीय सरकार नियमों द्वारा आयोग के कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में उपबंध कर सकेगी।

अध्याय 3

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कृत्य और शक्तियां

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कृत्य और शक्तियां।

8. (1) आयोग के निम्नलिखित कृत्य और शक्तियां होंगी–

(क) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के कार्यकरण का अधीक्षण करना जहां तक यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों अथवा किसी ऐसे अपराध के, जिससे किसी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा, अन्वेषण से संबंधित है। 1988 का 49
1974 का 2

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी ऐसे निर्देश पर जांच करना या जांच करवाना या अन्वेषण करना जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि केन्द्रीय सरकार या किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनी, सोसाइटी और किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी कर्मचारी ने लोक सेवक के रूप में भ्रष्टाचार

1988 का 49
1974 का 2

निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन कोई अपराध अथवा कोई ऐसा अपराध, जिससे किसी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा, कारित किया है;

(ग) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट पदधारियों के ऐसे प्रवर्ग से संबंधित किसी पदधारी के विरुद्ध

1988 का 49
1974 क 2

किसी परिवाद, जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि उसने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन कोई अपराध अथवा कोई ऐसा अपराध जिससे किसी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा, कारित किया है, जांच करना या जांच करवाना या अन्वेषण करवाया जाना;

1988 का 49

(घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों का दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किए गए अन्वेषणों की प्रगति का अथवा किसी ऐसे अपराध का

1974 का 2

जिससे किसी लोक सेवक को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा, पुनर्विलोकन करना;

1988 का 49

(ङ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभियोजन की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास लम्बित आवेदनों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना;

(च) केन्द्रीय सरकार, किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों को ऐसे विषयों पर सलाह देना जो इसे उस सरकार, उक्त सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा या अन्यथा निर्दिष्ट किए जाएं;

(छ) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन के ऊपर अधीक्षण रखना।

(2) उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नप्रकार हैं:—

(क) संघ के मामलों के संबंध में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य और केन्द्रीय सरकार के समूह "क" के अधिकारी;

(ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के ऐसे स्तर के अधिकारी जिन्हें वह सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु उस समय तक, जब तक कि इस खंड के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाती है, उक्त निगमों, कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के सभी अधिकारी उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति समझे जाएंगे।

आयोग की कार्यवाहियां।

9. (1) आयोग की कार्यवाहियां इसके प्रधान कार्यालय में संचालित की जाएंगी।

(2) आयोग कार्य करने की बाबत प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं।

(3) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या यदि वह किसी कारण आयोग की किसी बैठक में उपस्थित होने के अयोग्य हो तो बैठक में उपस्थित ज्येष्ठतम सतर्कता आयुक्त, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारण से ही अधिविधिमान्य नहीं होगी—

(क) आयोग में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि; या

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि; या

(ग) आयोग की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है।

कतिपय परिस्थितियों में सतर्कता आयुक्त का केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करना।

10. (1) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से हुई किसी रिक्ति की दशा में राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सतर्कता आयुक्तों में से एक को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए, जब तक कि ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती, प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) यदि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, छुट्टी पर अनुपस्थित होने के कारण या अन्यथा अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो सतर्कता आयुक्तों में से ऐसा एक आयुक्त, जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे, उस तारीख तक तब जब तक कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त फिर से अपने कर्तव्यों को संभालता है, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

जांच से संबंधित शक्तियां।

11. आयोग को, धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट कोई जांच करते समय विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात्:— 1908 का 5

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का विधिक कार्यवाहियां होना।

12. आयोग दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा और आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत और धारा 196 के प्रयोजनों के लिए विधिक कार्यवाही समझी जाएगी। 1947 का 2 1860 का 45

अध्याय 4

व्यय और वार्षिक रिपोर्ट

आयोग के व्ययों का भारत की संचित निधि पर भारित होना।

13. आयोग के व्यय जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त, आयोग के सचिव और कर्मचारिवृन्द को संदेय या उनकी बाबत कोई वेतन, भत्ते और पेंशन है, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।

वार्षिक रिपोर्ट।

14. (1) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के कार्यकरण की बाबत एक पृथक् भाग होगा, जहां तक कि यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 4 की उपधारा (1) से संबंधित है। 1946 का 25

(3) ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर राष्ट्रपति उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

15. आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, किसी सतर्कता आयुक्त, आयोग के सचिव या किसी कर्मचारी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त और कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना।

16. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त प्रत्येक सतर्कता आयुक्त, आयोग का सचिव और प्रत्येक कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।
1860 का 45

आयोग द्वारा किए गए निर्देश पर की गई किसी जांच की रिपोर्ट का उस आयोग को भेजा जाना।

17. (1) आयोग द्वारा किए गए निर्देश पर किसी अधिकरण द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी।

(2) आयोग ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर और उससे सुसंगत अन्य तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार और किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन निगमों, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों को आगे की कार्रवाई के लिए सलाह देगा।

(3) केन्द्रीय सरकार और किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियां, सोसाइटियां और स्थानीय प्राधिकरण, आयोग की सलाह पर विचार करेंगे और समुचित कार्रवाई करेंगे:

परन्तु जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनी, सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकरण, आयोग की सलाह से सहमत नहीं है वहां वह उसे अभिलिखित कारणों से आयोग को संसूचित कर सकेगा।

जानकारी मांगने की शक्ति।

18. आयोग, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों से उस सरकार में और उक्त निगमों, सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक कार्य के ऊपर सामान्य पर्यवेक्षण करने को सशक्त बनाने के लिए रिपोर्ट, विवरणी और विवरण की मांग कर सकेगा।

निदेश देने की शक्ति।

19. आयोग, समय-समय पर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन को, उसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, निदेश देगा :
1946 का 25

परन्तु आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग ऐसी रीति में नहीं करेगा जिससे कि वह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन से किसी विशिष्ट मामले का अन्वेषण या निपटारा केवल विशिष्ट रीति में करने की अपेक्षा करता हो।

कतिपय मामलों में आयोग से परामर्श किया जाना।

20. केन्द्रीय सरकार, संघ के मामलों के संबंध में लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों अथवा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के संबंध में सतर्कता या अनुशासनिक मामलों को शासित करने वाले कोई नियम अथवा विनियम बनाते समय आयोग से परामर्श करेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

21. (1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध किया जा सकेगा अर्थात्:-

(क) धारा 7 के अधीन कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें;

(ख) धारा 11 के खंड (च) के अधीन विहित की जाने वाली सिविल न्यायालय की कोई अन्य शक्ति; और

(ग) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

विनियम बनाने की शक्ति।

22. (1) आयोग केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम के असंगत नहीं है और उसके अधीन बनाए गए नियम ऐसे सभी विषयों का उपबंध करेंगे जिसके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवृत करने के प्रयोजनों के लिए उपबंध करना समीचीन है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात:–

(क) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन सचिव के कर्तव्य और शक्तियां, और

(ख) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।

अधिसूचना, नियम आदि का संसद् के समक्ष रखा जाना।

23. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना और बनाया गया प्रत्येक नियम और आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम जारी किए जाने या बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना या नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह अधिसूचना, नियम या विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए या नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह अधिसूचना या नियम या विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु अधिसूचना या नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

24. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

विद्यमान सतर्कता आयोग से संबंधित उपबंध।

25. धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आयोग के गठन से ही, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संकल्प संख्यांक 24/7/64-एवीडी, तारीख 11 फरवरी, 1964 द्वारा स्थापित केन्द्रीय सतर्कता आयोग (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विद्यमान सतर्कता आयोग कहा गया है) जहां तक इसके कृत्य इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, उक्त कृत्यों का निर्वहन करता रहेगा, और–

(क) सतर्कता आयोग द्वारा की गई सभी कार्रवाइयां और किए गए विनिश्चय जहां तक ऐसी कार्रवाइयां और विनिश्चय इस अधिनियम के अधीन गठित आयोग के कृत्यों से संबंधित है, आयोग द्वारा किए गए समझे जाएंगे;

(ख) सतर्कता आयोग के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियां जहां तक ये कार्यवाहियां आयोग के कृत्यों से संबंधित हैं आयोग को अंतरित की गई समझी जाएंगी और वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बरती जाएंगी;

(ग) सतर्कता आयोग के कर्मचारी उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर आयोग के कर्मचारी समझे जाएंगे;

(घ) सतर्कता आयोग की सभी आस्तियां और दायित्व आयोग को अंतरित हो जाएंगी।

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की नियुक्ति, आदि।

26. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते 1973 का 46 हुए भी,–

(क) केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय में एक प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करेगी:–

(i) केन्द्रीय सर्तकता आयुक्त – अध्यक्ष;

(ii) गृह मंत्रालय का भारसाधक भारत सरकार का सचिव – सदस्य;

(iii) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का भारसाधक
भारत सरकार का सचिव – सदस्य;

(iv) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का भारसाधक
भारत सरकार का सचिव – सदस्य;

(ख) भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का कोई व्यक्ति प्रवर्तन निदेशक के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

(ग) प्रवर्तन निदेशक उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(घ) प्रवर्तन निदेशक को खंड (क) में निर्दिष्ट समिति की पूर्व सहमति के सिवाय स्थानांतरित नहीं किया जाएगा;

(ङ) खंड (क) में निर्दिष्ट समिति, प्रवर्तन उपनिदेशक के स्तर से ऊपर के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों की सिफारिश करेगी और प्रवर्तन निदेशालय में ऐसे अधिकारियों की पदावधि में विस्तारण या लघुकरण की भी सिफारिश करेगी;

(च) खंड (ङ) के अधीन की गई सिफारिश की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार उक्त सिफारिश को प्रभावी करने के लिए ऐसा आदेश पारित करेगी जो वह उचित समझे।

27. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 में,- 1946 के अधिनियम संख्यांक 25 का संशोधन।

(क) धारा 1 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:- निर्वचन-खंड।

"1क. उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 1999 में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं;";

(ख) धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:-

1988 का 49

"4. (1) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन का अधीक्षण, जहां तक इसका संबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों के अन्वेषण से है, आयोग में निहित होगा। विशेष पुलिस स्थापन का अधीक्षण और प्रशासन।

(2) जैसा उपधारा (1) में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, अन्य सभी मामलों में उक्त पुलिस स्थापन का अधीक्षण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा।

(3) उक्त पुलिस स्थापन का प्रशासन केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी में (जिसे इसमें इसके पश्चात् निदेशक कहा गया है) निहित होगा जो उस पुलिस स्थापन के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो किसी राज्य में पुलिस बल के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रयोक्तव्य हैं और इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

4क. (1) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर निदेशक की नियुक्ति करेगी:- निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति।

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त – अध्यक्ष

(ख) गृह मंत्रालय का भारसाधक भारत सरकार का सचिव – सदस्य

(ग) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का भारसाधक
भारत सरकार का सचिव – सदस्य

(2) समिति उपधारा (1) के अधीन कोई सिफारिश करते समय निदेशक के विचारों को ध्यान में रखेगी।

(3) समिति,-

(क) ज्येष्ठता, सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार निरोधक मामलों के अन्वेषण के अनुभव के आधार पर; और

(ख) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अधीन गठित भारतीय पुलिस सेवा के, अधिकारियों में से चुनकर, 1951 का 61

निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अधिकारियों के एक पैनल की सिफारिश करेगी।

निदेशक की सेवा के निबंधन और शर्तें।

4ख. (1) निदेशक, अपनी सेवा की शर्तों से संबंधित नियमों में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, उस तारीख से जिसको वह पद ग्रहण करता है, दो वर्ष से अन्यून अवधि के लिए पद पर बना रहेगा।

(2) निदेशक को धारा 4क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति की पूर्व सहमति के सिवाय स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

संयुक्त निदेशक और उसके ऊपर के पदों के लिए नियुक्ति, उनकी पदावधि में विस्तारण और लघुकरण, आदि।

4ग. (1) धारा 4क में निर्दिष्ट समिति निदेशक से परामर्श करने के पश्चात् संयुक्त निदेशक और उसके ऊपर की पंक्ति के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों की सिफारिश करेगी और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन में ऐसे अधिकारियों की पदावधि के विस्तारण या लघुकरण की भी सिफारिश करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिश की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार उक्त सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए ऐसा आदेश पारित करेगी जो वह उचित समझे।"।

निरसन और व्यावृत्ति।

28. (1) भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) तारीख 4 अप्रैल, 1999 का संकल्प संख्या 371/20/99 एवीडी—III निरसित किया जाता है। 1999 का अध्यादेश 4।

(2) ऐसे निरसन और केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 के समाप्त हो जाने पर भी, उक्त संकल्प और उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई जिसके अन्तर्गत की गई नियुक्तियां और की गई अन्य कार्यवाइयां हैं या उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई नियुक्ति इस अधिनियम या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 और विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के अधीन ऐसे की गई समझी जाएगी मानो इस अधिनियम द्वारा उन अधिनियमों में किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे।

अनुसूची

[धारा 5 (3) देखिए]

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या सतर्कता आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप—

"मैं, अमुक, जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग का केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (या सतर्कता आयुक्त) नियुक्त हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भ्रष्टाचार निवारण पर समिति की, जिसके अध्यक्ष श्री के॰ संथानम् थे, सिफारिशों के अनुसरण में तत्कालीन केन्द्रीय सतर्कता आयोग की तारीख 11 फरवरी, 1964 के संकल्प सं॰ 24/7/64-ए॰ वी॰ डी॰ द्वारा स्थापना की गई थी। उक्त संकल्प में अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध था कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त गृह मंत्रालय के, (जो अब कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है) साथ संबद्ध रहेगा, किन्तु अपनी शक्तियों और कृत्यों के प्रयोग में वह किसी भी मंत्रालय/विभाग का अधीनस्थ नहीं होगा और उसे स्वतंत्रता और स्वायत्तता के वे सभी मापदण्ड प्राप्त होंगे जो संघ लोक सेवा आयोग को हैं। उक्त संकल्प के पैरा 3 में यह भी अनुबंधित था कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाएगी और उसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाए जाने या निलंबित करने के लिए उपबंधित रीति से ही पद से हटाया या निलंबित किया जाएगा अन्यथा नहीं। इस संकल्प का, नवम्बर, 1995 में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति से संबंधित उपबंध का लोप करते हुए, संशोधन किया गया था।

2. सितम्बर, 1997 में, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, भ्रष्टाचार निवारण क्रियाकलापों को भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने प्रयासों के भाग के रूप में मजबूत करने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए एक स्वतंत्र पुनर्विलोकन समिति (आई॰ आर॰ सी॰) का गठन किया था। आई॰ आर॰ सी॰ द्वारा की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश यह थी कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन की जाने वाली नियुक्ति से संबंधित उपबंध को प्रत्यावर्तित करने के साथ केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कानूनी दर्जा प्रदान करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया जाए। आई॰ आर॰ सी॰ ने यह भी सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के दक्ष कार्यकरण के लिए उत्तरदायी बनाया जाए।

3. तत्पश्चात्, उच्चतम न्यायालय ने विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (जिसे सामान्यतः जैन हवाला मामला के नाम से जाना जाता है)–दांडिक रिट याचिका सं॰ 340-343/93, तारीख 18 दिसम्बर, 1997 वाले मामले में अन्य निदेशों के साथ-साथ यह निदेश दिया था कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कानूनी दर्जा दिया जाए। उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा दर्जा प्रदान करने के अनेक परिणामों का अनुसरण करने के लिए भी निदेश दिए गए।

4. इस विषय में अंतर्वलित अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से प्रस्तावित विधि को उसके स्थान पर रखने का विनिश्चय किया जिससे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कानूनी दर्जा प्रदान किए जाने वाले उसके निदेशों का अनुपालन किया जा सके। तदनुसार राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित किए गए थे:—

(i) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1998 (1998 का अध्यादेश 15, तारीख 25-8-1998); और

(ii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1998 (1998 का अध्यादेश 18, तारीख 27-10-1998)।

तारीख 25 अगस्त, 1998 और 27 अक्तूबर, 1998 के दो अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार ने लोकसभा में 7-12-1998 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक पुरःस्थापित किया था।

(iii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश 4, तारीख 8-1-1999)। यह अध्यादेश इस कारण प्रख्यापित करना पड़ा था क्योंकि उपरोक्त (i) और (ii) में उल्लिखित अध्यादेशों का पर्यवसान हो रहा था और केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998 पारित नहीं किया जा सका था।

5. केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1998 गृह मंत्रालय की विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को परीक्षा के लिए तथा रिपोर्ट देने के लिए निर्दिष्ट किया गया था। विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद् को 25 फरवरी, 1999 को प्रस्तुत की तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998 के संबंध में कतिपय सिफारिशें की। सरकार ने स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की परीक्षा की और अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार करने के पश्चात् केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के लिए शासकीय संशोधनों का प्रस्ताव किया। लोक सभा ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1998 को इस संबंध में पेश किए गए शासकीय संशोधनों को अंगीकार करने के पश्चात् इसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के रूप में 15 मार्च, 1999 को पारित किया। तथापि, इससे पहले की इस विधेयक पर राज्य सभा द्वारा विचार किया जाता और पारित किया जाता, बारहवीं लोक सभा 26 अप्रैल, 1999 को विघटित हो गई थी और परिणामस्वरूप केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 व्यपगत हो गया।

6. इसी बीच, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 (1999 का अध्यादेश 4, तारीख 8-1-1999) 5 अप्रैल, 1999 को पर्यवसित हो रहा था। अत: आयोग को बनाए रखने के लिए सरकार ने 4 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित 4 अप्रैल, 1999 का एक संकल्प सं॰ 371/20/99-ए.वी.डी. III जारी किया। वर्तमान में केन्द्रीय सतर्कता आयोग पूर्वोक्त संकल्प के आधार पर एक गैर कानूनी निकाय के रूप में कार्य कर रहा है।

7. उच्चतम न्यायालय ने अपने 18 दिसम्बर, 1997 के आदेश द्वारा यह निदेश दिया था कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कानूनी दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। अत: केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए विधेयक को "केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999" के नाम से पुन: पुर:स्थापित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निदेशों की अनुपालना करना आवश्यक है।

8. यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कानूनी दर्जा प्रदान करने के लिए है और तारीख 4 अप्रैल, 1999 के भारत सरकार के संकल्प को, जिसके अधीन वर्तमान में आयोग एक गैर कानूनी निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, भी निरसित करने के लिए है।

नई दिल्ली;
10 दिसम्बर, 1999

वसुन्धरा राजे

वित्तीय ज्ञापन

1. विधेयक के खंड 3 के उपखंड (4) में आयोग के सचिव की ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जिन्हें आयोग विनियमों द्वारा इस निमित्त, विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति का उपबंध है। विधेयक के खंड 5 के उपखंड (7) में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों को या उनकी बाबत संदेय वेतन, भत्तों और पेंशनों का उपबंध है। विधेयक के उपखंड (7) में आयोग के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों का उपबंध है।

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के लिए, वर्ष 1998-99 के लिए बजट उपबंध चार करोड़ ग्यारह लाख रुपए है। वर्ष 1999-2000 के लिए संभावित बजट प्राक्कलन पांच करोड़ रुपए है।

3. विधेयक में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और चार से अनधिक सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति के लिए उपबंध है। वर्तमान में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और एक सतर्कता आयुक्त कार्य कर रहे हैं जो पूर्ववर्ती अध्यादेशों, अर्थात्, क्रमश: तारीख 25 अगस्त 1998 के केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश 1998 (1998 का 15) और तारीख 08 जनवरी, 1999 के केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश 1999 (1999 का 4) के अधीन नियुक्त किए गए थे। प्रस्तावित विधेयक के अधिनियम बन जाने के पश्चात् और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति के कारण व्यय में वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त, उनके निजी कर्मचारिवृन्द आदि को भी नियुक्त किया जाना अपेक्षित होगा।

4. खंड 5 के उपखंड (7) के अधीन केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के तथा खंड 3 के उपखंड (4) के अधीन सचिव के और खंड 7 के अधीन आयोग के कर्मचारिवृन्द के वेतन और भत्तों आदि मद्दे आवर्ती व्यय का प्राक्कलन लगभग पचास लाख रुपए प्रति वर्ष किया गया है। फर्नीचर, कार्यालय उपस्कर, यान आदि जैसी मदों पर आवर्ती व्यय का अनुमानित प्राक्कलन लगभग पचास लाख रुपए होगा। इस प्रक्रम पर यह संभव नहीं है कि उपगत किए जाने वाले व्यय के ठीक-ठीक ब्यौरे दिए जाएं।

5. विधेयक में कोई अन्य आवर्ती या अनावर्ती व्यय नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 8 के उपखंड (2) का पैरा (ख), केन्द्रीय सरकार को किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के अधिकारियों का स्तर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है।

2. विधेयक का खंड 21, प्रस्तावित अधिनियमिति के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। वे विभिन्न विषय, जिनकी बाबत ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे, उस खंड के उपखंड (2) के विभिन्न मदों के अन्तर्गत ब्यौरेवार प्रगणित किए गए हैं। ये मुख्यत: खंड 7 के अधीन कर्मचारिवृन्द की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों, खंड 11 के उपखंड (च) के अधीन विहित की जाने वाली सिविल न्यायालय की किसी अन्य शक्ति और किसी ऐसे अन्य विषय से, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है या जो विहित किया जाए, संबंधित है। ऐसे नियम या विनियम बनाने में, केन्द्रीय सरकार, खंड 20 की अपेक्षानुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करेगी।

3. विधेयक का खंड 22, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है जो प्रस्तावित अधिनियमिति से असंगत न हों और उसके अधीन बनाए गए नियमों में ऐसे सभी विषयों का उपबंध हो सकेगा जिसके लिए उपबंध प्रस्तावित अधिनियमिति के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए समीचीन है। वे विभिन्न विषय, जिसके संबंध में ऐसे विनियम बनाए जा सकेंगे, उस खंड के उपखंड (2) की विभिन्न मदों के अन्तर्गत ब्यौरेवार प्रगणित किए गए हैं। ये मुख्यत: खंड 3 के उपखंड (4) के अधीन सचिव के कर्तव्यों और शक्तियों और आयोग द्वारा खंड 9 के उपखंड (2) के अधीन अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित हैं।

4. खंड 23 यह अधिकथित करता है कि खंड 8 (2) (ख) के अधीन निकाली गई प्रत्येक अधिसूचना और खंड 21 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम तथा खंड 22 के अधीन केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम संसद् में उसके प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है।

5. वे विषय जिनकी बाबत अधिसूचना निकाली जा सकेगी या नियम अथवा विनियम बनाए जा सकेंगे, साधारणतया प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए विस्तृत उपबंध किया जाना व्यवहार्य नहीं है। अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

6. इस संबंध में, पृथक् रूप से, प्रारूप नियमों और विनियमों को तैयार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पहले से प्रारंभ की जा चुकी है।

उपाबंध

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम संख्यांक 25) से उद्धरण

* * * * *

विशेष पुलिस स्थापन का अधीक्षण और प्रशासन।

4. (1) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन का अधीक्षण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा।

(2) उक्त पुलिस स्थापन का प्रशासन, केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त नियुक्त एक अधिकारी में निहित होगा जो उस पुलिस स्थापन के संबंध में किसी राज्य के पुलिस बल के बारे में पुलिस-महानिरीक्षक द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों में से ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

* * * * *

MGIP(PLU)MRND—3050LS—23-12-99.

परिशिष्ट-एक

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 2)

संयुक्त समिति को विधेयक सौंपे जाने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव

"कि केन्द्रीय सरकार के, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्ग के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों की जांच करने या जांच कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक को दोनों सदनों की 30 सदस्यों वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें 20 सदस्य इस सदन के हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं :-

1. श्री राशिद अल्वी
2. श्री पवन कुमार बंसल
3. श्री आर.एल. भाटिया
4. श्री समर चौधरी
5. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया
6. श्री प्रियरंजन दासमुंशी
7. श्री अनंत गुढे
8. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी
9. श्री सी. कुप्पुसामी
10. श्री भर्तृहरि महताब
11. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति
12. श्री पी.एच. पांडियन
13. श्री शरद पवार
14. श्री अनादि साहू
15. डा0 नीतिश सेनगुप्ता

16. श्री महेश्वर सिंह

17. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह

18. श्री बलराम सिंह यादव

19. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

20. श्रीमती वसुन्धरा राजे ,

और 10 सदस्य राज्य सभा के हैं।

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया नियम अध्यक्ष द्वारा किए गए उपांतरों और संशोधनों सहित लागू होंगे ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्य सभा द्वारा इस समिति में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले 10 सदस्यों के नामों की सूचना इस सभा को दी जाए ।

लोक सभा ने मंगलवार, 21 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को पारित किया ।

परिशिष्ट - दो

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 3)

संयुक्त समिति को विधेयक सौंपे जाने के लिए राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा केन्द्रीय सरकार के, किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्ग के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों की जांच करने या जांच कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त समिति में शामिल हो और यह संकल्प लेती है कि राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किये जायें :-

1. श्री एम.वेंकैय्या नायडू
2. श्री वेदप्रकाश पी. गोयल
3. श्री रंगनाथ मिश्र
4. श्री हंसराज भारद्वाज
5. श्री वी.पी. दुराईसामी
6. श्री सी. रामचन्द्रैय्या
7. श्री कुलदीप नैय्यर
8. श्री संजय निरूपम
9. श्री एस. रामचन्द्रन पिल्लई
10. श्री अमर सिंह

राज्य सभा ने शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 1999 को हुई अपनी बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को पारित किया ।

नई दिल्ली;
23 दिसम्बर, 1999

महा सचिव

परिशिष्ट तीन

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 7)

संयुक्त समिति को जिन संघों/संगठनों/व्यक्तियों आदि से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, उनकी सूची ।

ज्ञापन सं0	संघ का नाम व उनका पता
1.	श्री किशोर गुप्ता एण्ड कं0 (चार्टर्ड एकाउन्टेंट) फ्लेट नं0 11, सी-4। कनाट प्लेस, नई दिल्ली
2.	श्री एस॰एन॰ पाल एण्ड एसोसिएट (चार्टर्ड इंजीनियर, रजि0 वैल्यूअर इन्सयोरेंस सर्वेयर्स लोस असेसर प्रोजेक्ट कन्सलटेंट एण्ड आर्बिट्रेटर्स), का0 140/9 एन॰एस॰ सी॰ बोस रोड, कलकत्ता - 700040
3.	श्री अजीत घोष चौधरी पाडा, अन्दुल, माउडी, हावड़ा पं0 बंगाल- पिन 711302
4.	श्री प्रदीप करन सिद्धार्थ (राष्ट्रीय सचिव) सिटीजन्स कमिशन फार नेशनल इस्यू, पंजीकृत कार्यालय: बी-108, सरस्वती कुंज, 25 आई॰पी॰ एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली - 110092
5.	श्री ए॰बी॰ दास गुप्ता (बी॰ई॰ई, एफ॰आई॰ई॰) ए/102, चितरंजन पार्क नई दिल्ली - 110019

11· श्री एस·एस· सोनवाल्कर,
{गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक {सेवानिवृत्त}
इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,
{ई·सी·आई·एल} फाउन्डर प्रेसीडेंट
ई·सी·आई·एल· आफिसर्स एसोसिएशन,
हैदराबाद, संस्थापक महासचिव
नेशनल कानफेडरेशन आफ आफिसर्स एसोसिएशन,
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,
नि·6-36/2, अनूपुरम कम्यूनिटी हाल,
पो० ई·सी·आई·एल·, हैदराबाद-500062

12· श्री नीलकांत दास
भारतीय स्टेट बैंक,
डाक - मालीगांव,
जिला- कामरूप {असम}
पिन- 781011

13· श्री हरिप्रसाद व्यास, चेयरमैन,
निलपा {नेशनल इंस्टीट्यूट फार लीडरशिप एंड
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन} निलपा भवन,
अहमदाबाद एजूकेशन सोसायटी ग्राउण्ड,
सौरभ सोसायटी के निकट विजय चार रास्ता,
ड्राईव-इन-रोड, अहमदाबाद-380009, भारत

14· डा० निर्तिंग जी· खोट,
27, फोर्ट,
बेलगांव-590016

15· श्री एस·बी· बाला जगन्नाथन, बी·ए·बी·एल·
डी·एस·डब्ल्यू·{सेवानिवृत्त क्षेत्रीय श्रम आयुक्त}सी{97,
बाजार स्ट्रीट, सत्यामंगलम-638401

16· श्री डी·के· सिंह, द्वारा श्रीमती अनिता लेपचा
{अधिवक्ता} होटल वुडलैंड बिल्डिंग,
31-ए, नेशनल हाइवे, गंगटोक
पूर्वी जिला, सिक्किम-737101

17· श्री के· श्रीनिवासन,
{कन्सल्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर}
नि· 57, कृष्णापुरी कालोनी,
वेस्ट मेरडपल्ली,
सिकन्दराबाद-500026

18. डा० निरंजन नाथ {चेयरमैन}
नेशनल इन्स्टीट्यूट फार कन्ज्यूमर स्टडीज},
नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ कन्ज्यूमर स्टीडीज एंड रूरल डेवलपमेंट
कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन
गुजरात कन्ज्यूमर को -ओ·आर·डी·एल,
काउन्सिल, स्पेस रिसर्च लेबोरेट्रीज,
"विज्ञान भवन" विश्वकर्मा नगर,
हिम्मत नगर:383001, गुजरात

19. श्री एम·आर· गिरि,
नि· धन्वन्तरी भवन, रोड सं·66,
पंजाबी बाग {प·}
नई दिल्ली-110026

20. डा० अनुपम
124, निम्नतल, तालिताल,
नैनीताल-2, उत्तर प्रदेश

21. श्री ए·अमूल रेयन, {बी·एस·सी·, बी·एल·} {अधिवक्ता}
नि· 4ए/18, अरुणा नगर,
पुथुर, तिरूचापल्ली-620017
तमिलनाडु

22. श्री बी· प्रसाद {बी·एस·सी·{इंजी·}}
मुख्य अभियन्ता {सेवानिवृत्त}
नि· निर्मला सदन, बिहारी सा लेन,
पटना-800004

23. श्री पी·आर· दासगुप्ता, {चेयरमैन}
भारतीय खाद्य निगम,
16-20, बड़ा खम्बा लेन,
नई दिल्ली-110001

24. श्री एम·एन· दाडिकर {मुख्य कार्यकारी एवं सचिव}
इंडियन बैंक एसोसिएशन,
6ठीं मंजिल, सेंटर बिल्डिंग,
विश्व व्यापार केन्द्र परिसर
कूफेपरेड, मुम्बई-400005

25• श्री दिनेश सिंह, {चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक}
नेशनल फर्टिलाइजर्स लि0 {दिल्ली कार्यालय}
स्कोप काम्पलेक्स, कोर-तीन,
7, संस्थागत क्षेत्र, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

26• श्री एस•के• चतुर्वेदी, निदेशक {सतर्कता} एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी
भारतीय इस्पात प्राधिकरण, इस्पात भवन,
लोदी रोड, पो•बा•नं• 3049,
नई दिल्ली-110003

27• श्री ईशान शंकर, निदेशक {कार्मिक}
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लि0
पंजीकृत कार्यालय: भेल हाउस
सिरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049

28• श्री एम•जी• केशवप्पा
नि• म•नं•श्री 19/बी-दो क्रास न्यू टाउन,
भद्रावथी-577301,
शिमोगा जिला, कर्नाटक

29• श्री एम•ए• हाकीम, महासचिव
स्टैन्डिंग कान्फ्रेंस आफ पब्लिक एन्टरप्राइजिज {स्कोप}
"स्कोप काम्पलेक्स", 7, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

30• श्री ए•वी• गोकाक {सचिव}
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
शास्त्री भवन,
डा0 राजेन्द्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली-110001

31• श्री अरविन्द वर्मा {सचिव}
रसायन एवं उर्वरक,
{रसायन एवं पेट्रोरसायन}, विभाग
नई दिल्ली

32. श्री बी॰के॰ चतुर्वेदी (सचिव)
वित्त मंत्रालय,
(आर्थिक कार्य विभाग)
नई दिल्ली ।

33. श्री प्रदीप बैजल, सचिव
विनिवेश विभाग
"त्रिकूट-एक", भीकाजी कामा प्लेस
नई दिल्ली ।

34. मेजर जनरल बी॰सी॰ खन्डूरी, एवीएसएम (सेवानिवृत्त)
संसद सदस्य (लोक सभा) एवं सदस्य, केन्द्रीय सतर्कता
आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति ।

35. श्री डी॰ चटर्जी, सचिव (खान)
खान मंत्रालय
नई दिल्ली

36. भारी उद्योग एवं लोक [illegible] मंत्रालय
लोक [illegible] विभाग ।

37. श्री अमर सिंह
संसद सदस्य (राज्य सभा), एवं
केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी
संयुक्त समिति के सदस्य ।

38. सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(परिवार कल्याण विभाग)
भारत सरकार, नई दिल्ली

39. वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग,
नई दिल्ली

40. श्री वी॰एस॰ माथुर
सतर्कता आयुक्त

41. श्री सी॰कुप्पुसामी, संसद सदस्य
उत्तरी-मद्रास लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र

42. वित्त मंत्रालय.
राजस्व विभाग

परिशिष्ट चार

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 8.14)

उन साक्षियों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य दिया

एक. बैंकों के प्रतिनिधि

1. श्री एम.एन. डाँडेकर, मुख्य कार्यकारी एवं सचिव, इंडियन बैंक एसोसिएशन
2. श्री जे.जे. वैद्य, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
3. श्री एस. कृष्णन, मुख्य सतर्कता अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक
4. श्री पी. भाश्यम, उप महा-प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक
5. श्री एस.एन. सहाय, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक
6. श्रीमती रंजना कुमार, कार्यकारी निदेशक, केनरा बैंक
7. श्री बी.आर.आर. राव, मुख्य सतर्कता अधिकारी, केनरा बैंक
8. श्री के.सी. चौधरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया
9. श्री के.आर. छाबड़िया, कार्यकारी निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक
10. श्री एस. राजगोपाल, सी एम डी, बैंक आफ इंडिया
11. श्री टी.एस. राधाकृष्णन, महाप्रबंधक, बैंक आफ इंडिया
12. डा0 दलबीर सिंह, सी एम डी, ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
13. श्री वी.पी. शेट्टी, कार्यकारी निदेशक, यूको बैंक
14. श्री हरभजन सिंह, सी एम डी, इलाहाबाद बैंक

दो. विभिन्न सरकारी उपक्रमों के प्रतिनिधि

1. डा0 उदेश कोहली, सी एम डी, विदेश वित्त निगम एवं अध्यक्ष, स्कोप
2. श्री एम.ए. हाकिम, सेक्रेटरी जनरल, स्कोप
3. श्री राजेन्द्र सिंह, सी एम डी, एन टी पी सी लि0
4. श्री दिनेश सिंह, एम डी, नेशनल फर्टीलाईजर्स लि0
5. श्री पी. आर. दासगुप्ता, अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम लि0
6. श्री आर.के. गुप्ता, कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) भारतीय खाद्य निगम लि0

7. श्री ईशान शंकर, निदेशक (कार्मिक), भेल

8. श्री मनेश्वर झा, कार्यकारी निदेशक (सतर्कता), भेल

9. श्री एस.डी. कपूर, सी एम डी, मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि0

10. श्रीमती साची चौधरी, सी वी ओ, मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि0

11. श्री एस.के. चतुर्वेदी, निदेशक एवं सी वी ओ, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि0

12. श्री जे.सी. अग्रवालवादी, कार्यकारी निदेशक (सतर्कता), सेल

13. डा0 एस.एम. दीवान, सी एम डी, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन

तीन. डा0 आर.के. राघवन, निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो

चार. श्री यू.सी. अग्रवाल, भूतपूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

पांच• मंत्रालय/भारत सरकार के विभाग

1•	श्री अरविंद वर्मा, सचिव,	रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग
2•	श्री ए•बी• गोकर्ण, सचिव,	उर्वरक विभाग
3•	श्री दीपक चटर्जी, सचिव,	खान विभाग
4•	श्री ए•आर• नंदा, सचिव,	परिवार कल्याण विभाग
5•	श्री ए•आर•विजयराघवन, सचिव	लोक उद्यम विभाग
6•	श्री प्रदीप बेजल, सचिव,	विनिवेश विभाग
7•	श्री पी•जी• मावलंकर, सचिव,	राजस्व विभाग
8•	श्री इ•ए•एस• सर्मा, सचिव,	आर्थिक कार्य विभाग
9•	श्री देवी दयाल, विशेष सचिव, (बैंकिंग प्रभाग)	आर्थिक कार्य विभाग
10•	श्री बी•के• चतुर्वेदी, विशेष सचिव (बीमा प्रभाग)	आर्थिक कार्य विभाग
11•	श्री एस•एस• डावरा, निदेशक	प्रवर्तन निदेशालय

छः केन्द्रीय सतर्कता आयोग

1•	श्री एन•विट्ठल	केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त
2•	श्री वी•एस• माथुर	सतर्कता आयुक्त

/ परिशिष्ट – पाँच

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी

संयुक्त समिति की पहली बैठक का

कार्यवाही सारांश

I

समिति की बैठक सोमवार 24 जनवरी, 2000 को 15•00 बजे से 17•30 बजे तक हुई।

उपस्थित

लोक सभा

श्री शरद पवार - सभापति

2• श्री राशिद अलवी
3• श्री आर•एल• भाटिया
4• श्री समर चौधरी
5• श्री प्रियरंजन दासमुंशी
6• मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी
7• श्री भर्तृहरि महताब
8• श्री एम•वी•वी•एस• मूर्ति
9• श्री पी•एच• पाण्डियन
10• श्री अनादि साहू
11• डा० नीतिश सेनगुप्ता
12• श्री महेश्वर सिंह
13• श्री बलराम सिंह यादव
14• श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

सदस्य

राज्य सभा

15• श्री एम• वेंकैया नायडू
16• श्री वेदप्रकाश पी• गोयल
17• श्री रंगनाथ मिश्र
18• श्री हंसराज भारद्वाज
19• श्री सी• रामचन्द्रय्याह
20• श्री कुलदीप नैय्यर
21• श्री एस• रामचन्द्रन पिल्लई
22• श्री अमर सिंह

सचिवालय

1.	श्री पी.डी.टी. अचारी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री राम अवतार राम	-	निदेशक

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रतिनिधि)

1.	श्री बी.बी. टंडन	:	सचिव
2.	श्री डी.सी. गुप्ता	:	अपर सचिव
3.	श्री आई.एस. चतुर्वेदी	:	उप सचिव (सतर्कता)
4.	श्री जुगल किशोर	:	अवर सचिव

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1.	श्री टी.के. विश्वनाथन	:	अपर सचिव
2.	श्री एन.के. नम्पूतिरी	:	उप विधायी अधिवक्ता

2. आरम्भ में सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया । अपने स्वागत भाषण (अनुबंध एक) में उन्होंने सदस्यों को बताया कि समिति को अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन सभा में प्रस्तुत करना है । इस संबंध में उन्होंने टिप्पणी की कि निर्धारित समयावधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संभव नहीं है क्योंकि विधेयक के संबंध में काफी कार्य किये जाने की आवश्यकता है ।

3. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर सामान्य चर्चा की और जैन हवाला मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय और वर्तमान केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा दिये गये सुझावों पर विशेष रूप से चर्चा की । तत्पश्चात् कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के सचिव ने समिति को विधेयक वस्तु का परिचय दिया । कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड तैयार किया गया है ।

4. समिति ने प्रेस विज्ञप्ति (अनुबंध-दो) जारी करके उक्त विषय वस्तु में रुचि रखने वाले जनसाधारण/संगठनों से 10 फरवरी, 2000 तक टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया । यह निर्णय लिया गया कि प्रेस विज्ञप्ति की विषय वस्तु को समाचार पत्रों, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाये । समिति ने कुछ विशेषज्ञों जैसे बैंकों और सरकारी उपक्रमों के प्रमुखों, सरकारी उपक्रमों संबंधी स्थायी समिति, कुछ चयनित मंत्रालयों के सचिवों और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के भूतपूर्व निदेशकों आदि के विचार सुनने का भी निर्णय लिया ।

5. तत्पश्चात् समिति ने अगली बैठक बैठक 15 फरवरी, 2000 को आयोजित करने का निर्णय लिया ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

अनुबंध - एक

(देखिए दिनांक 24.1.2000 के कार्यवाही सारांश का पैरा 2)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक 1999 संबंधी संयुक्त समिति की 24.1.2000 को हुई पहली बैठक में सभापति द्वारा दिया गया स्वागत भाषण ।

मित्रो,

मुझे केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति की पहली बैठक में माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है । समिति के विचाराधीन वर्तमान विधेयक का उद्देश्य केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा देने के बारे में लम्बे समय से चली आ रही आवश्यकता और मांग को पूरा करना है । समाज के सभी वर्गों से भ्रष्टाचार जैसी बुराई के विरुद्ध संघर्ष करना विशेषकर उनके विरुद्ध जो बड़े-बड़े पदों पर कार्यरत होते हैं, एक राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उन लोगों, जिनके विरुद्ध जांच चल रही हो या अभियोग चलाया जा रहा हो, के लिए ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान हेतु हमें कड़े कानून, स्वतंत्र और अत्यंत दक्ष जांच और अभियोजन एजेंसियों की और संवैधानिक तथा सांविधिक व्यवस्थाओं को कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता है । विगत में हमारी जांच एजेंसियों ने सांविधिक दर्जा न मिले होने के बावजूद अपने कर्त्तव्य का दक्षता से निर्वहन किया है । तथापि, हाल ही में इन एजेंसियों के विरुद्ध कतिपय आरोप चाहें वे निराधार ही क्यों न हों, लगाये गये हैं कि ये एजेंसियां बाहरी दबाव के अधीन कार्यकरती हैं । अत: देश को शीर्षस्थ जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और कार्य स्वायत्तता सुनिश्चित कराने की तत्काल आवश्यकता है । प्रस्तावित विधेयक इस आवश्यकता की पूर्ति करता है ।

2. इस कानून की कुछ पृष्ठभूमि है । केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा देने के लिए सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के कारण इस कानून के अविलंब अधिनियमन की आवश्यकता हुई । यह असामान्य स्थिति है और इसे समिति के ध्यान में अवश्य लाना चाहिए । विधि-निर्माण संसद का अधिकार क्षेत्र है जो कि जनता की सम्प्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है । कानून का निर्माण करना शासन के कार्य का एक भाग है जिसके लिए मंत्रीमंडल केवल संसद के दोनों सदनों के प्रति जवाबदेह है । नि:संदेह, उच्चतम न्यायालय के पास संसद के किसी अधिनियम को संविधान के अधिकारातीत घोषित करने की शक्ति है परन्तु कानून पारित करने और विधायी नीति को निर्धारित करने के मामले में संसद सर्वोच्च है । विधि की विषय-वस्तु और रूपरेखा केवल संसद द्वारा ही निर्धारित की जाती है जिसके संबंध में जानकारी संसदीय समितियों द्वारा प्रदान की जाती है । अत: केन्द्रीय सतर्कता आयोग के गठन के संबंध में कानून बनाने की समस्त शक्तियां प्रवर समिति के पास हैं और इसीलिए इस संगठन की स्वतंत्रता, स्वायत्तता और प्रभावकारी कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए कानून के विभिन्न उपबंधों की गहन और विस्तृत जांच करने का कर्तव्य भी प्रवर समिति का है ।

3. यहां पर एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना आवश्यक है । भ्रष्टाचार से निपटने की समस्या एक ऐसा मामला है जिस पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति है और हमें यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल करने जैसी कोई गुंजाइश नहीं है । एक तरफ तो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और ईमानदार लोक सेवकों की अत्यंत आवश्यकता है तो दूसरी तरफ उत्तरदायित्वहीन अभियोजन के विरुद्ध सार्वजनिक कर्तव्य करने में संलग्न व्यक्तियों की सुरक्षा की भी आवश्यकता है ।

कार्यात्मक स्वायत्तता की अवधारणा का अभिप्राय यह है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग और अन्य एजेन्सियों को प्रचार से बचना चाहिए तथा देश के कानूनों, जो लोक अधिकारियों को तंग करने वाली कार्यवाहियों से संरक्षण प्रदान करते हैं, का दृढ़तापूर्वक सम्मान करना चाहिए ।

4. उद्देश्यों तथा कारणों के कथन से इस कानून की पृष्ठभूमि तथा उद्देश्यों का पता चल जाता है । इस कानून के प्रावधानों पर सावधानीपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है । केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों की गहराई पूर्वक जाँच किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं ।

5. अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर समिति की बैठकों में भाग लें और इस दिशा में किये जा रहे हमारे सामूहिक प्रयासों को और अधिक प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनायें ताकि समिति सभा में अपना प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत कर सकें । मैं नहीं समझता कि यह संभव है परंतु हम समय सीमा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] देंगे।

6. मैं आशा करता हूँ कि संयुक्त समिति में शामिल सभी माननीय साथियों के सहयोग से हम सौंपे गये कार्य को पूरा कर सकेंगे । मैं इस संबंध में माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों का स्वागत करूँगा । यदि कोई सदस्य कोई सुझाव देना चाहें तो उनका स्वागत है ।

धन्यवाद ।

अनुबंध - दो

[दिनांक 24.1.2000 के कार्यवाही सारांश का पैरा 4 देखें]

प्रेस विज्ञप्ति

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 जिसे 20.12.1999 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था, को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा गया है । विधेयक का आशय केन्द्रीय सरकार के किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के कतिपय प्रवर्ग के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों की जांच करने या जांच कराने के लिए एक केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करना है ।

2. संयुक्त समिति ने विभिन्न संगठनों, संघों, अन्य व्यक्तियों आदि जो विधेयक की विषय वस्तु में रुचि रखते हैं, से विधेयक पर ज्ञापन आमंत्रित करने का निर्णय किया है ।

3. संयुक्त समिति को ज्ञापन भेजने के इच्छुक व्यक्ति इसकी पांच प्रतियां श्री राम अवतार राम, निदेशक (सी एण्ड डी), लोक सभा सचिवालय, कमरा सं0 433, संसदीय सौध, नई दिल्ली को इस प्रकार भेज दें ताकि वे उन्हें 10 फरवरी, 2000 तक प्राप्त हो जाएं । समिति को भेजा जाने वाला ज्ञापन समिति के रिकार्ड का हिस्सा बनेगा तथा उसे पूरी तरह गोपनीय माना जाएगा और किसी के द्वारा इसका परिचालन नहीं किया जाएगा तथा कोई ऐसा कार्य समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा ।

4. जो व्यक्ति लिखित ज्ञापन के अलावा समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वे इस आशय की सूचना समिति के विचारार्थ लोक सभा सचिवालय को दें ।

5. लोक सभा में यथा पुर:स्थापित केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 को 20 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II में प्रकाशित किया गया था ।

नई दिल्ली
दिनांक: 25 जनवरी, 2000

II

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश ।

समिति की बैठक मंगलवार 15 फरवरी, 2000 को 11.00 बजे से 13.30 बजे तक हुई ।

सदस्य

उपस्थित

लोक सभा

श्री शरद पवार - सभापति

2. श्री रशीद अलवी
3. श्री पवन कुमार बंसल
4. श्री समर चौधरी
5. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया
6. श्री प्रियरंजन दास मुंशी
7. श्री अनंत गुढे
8. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूरी
9. श्री एम.वी.वी.एस मूर्ति
10. डा0 नीतिश सेनगुप्ता

राज्य सभा

11. श्री एम. वेंकय्या नायडू
12. श्री वेद प्रकाश पी. गोयल
13. श्री रंगनाथ मिश्र
14. श्री हंस राज भारद्वाज
15. श्री कुलदीप नय्यर
16. श्री संजय निरूपम
17. श्री एस. रामचन्द्रन पिल्लई
18. श्री अमर सिंह

सचिवालय

1. श्री पी.डी.टी. अचारी - संयुक्त सचिव
2. श्री राम अवतार राम - निदेशक
3. श्री पी.डी. मालवालिया - अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के प्रतिनिधि ।

1. श्री डी॰सी॰ गुप्ता - अवर सचिव
2. श्री आर॰के॰ जैन - निदेशक
3. श्री जुगल किशोर - अवर सचिव

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि ।

1. श्री टी॰के॰ विश्वनाथन - अवर सचिव
2. श्री एन॰के॰नम्पूरथिरी - उप विधायी परामर्शदाता

2. समिति ने निम्नलिखित बैंकों और सरकारी उपक्रमों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया ।

(एक) बैंक के प्रतिनिधि

1. श्री एम॰एच॰ डाडेकर, मुख्य कार्यकारी और सचिव, भारतीय बैंक संघ
2. श्री जी॰जी॰ वैद्य , अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
3. श्री एस॰कृष्णन, मुख्य सतर्कता अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक
4. श्री पी॰भाष्यम, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक
5. श्री एस॰एन॰सहाय, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक
6. श्रीमती रंजना कुमार,कार्यकारी निदेशक, केनरा बैंक
7. श्री बी॰आर॰आर॰राव, मुख्य सतर्कता अधिकारी, केनरा बैंक
8. श्री के॰सी॰ चौधरी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
9. श्री के॰आर॰छाबड़िया,कार्यकारी निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक
10. श्री एस॰राजगोपाल, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बैंक ऑफ इण्डिया
11. श्री टी॰एस॰ राधाकृष्णन्, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया
12. डा0 दलबीर सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ओरियेन्टल बैंक ऑफ कामर्स
13. श्री वी॰पी॰ शेट्टी, कार्यकारी निदेशक, यूको बैंक
14. श्री हरभजन सिंह, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इलाहाबाद बैंक

(दो) विभिन्न सरकारी उपक्रमों के प्रतिनिधि

1. डा0 उद्देश कोहली, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विदेश वित्त निगम और अध्यक्ष, स्कोप
2. श्री एम॰ए॰ हकीम, महासचिव, स्कोप
3. श्री राजेन्द्र सिंह , अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रा॰ता॰वि॰नि॰लि0
4. श्री दिनेश सिंह,प्रबंध निदेशक , नेशनल फर्टिलाइजर्स लि0
5. श्री पी॰आर॰ दासगुप्ता, अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम लि0
6. श्री आर॰के॰ गुप्ता, कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) भा॰खा॰नि॰लि॰
7. श्री ईशान शंकर,निदेशक(कार्मिक) भेल
8. श्री मनेश्वर धा, कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) भेल

9. श्री एस.डी. कपूर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि0

10. श्रीमती शंची चौधरी, निदेशक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि0

11. श्री एस.के. चतुर्वेदी, निदेशक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, सेल
12. श्री जे.सी. एलावादी, कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) सेल
13. डा0 एस.एम. दीवान, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, राज्य व्यापार निगम ।

3. आरंभ में, सभापति ने भारतीय बैंक संघ, विभिन्न बैंकों और सरकारी उपक्रमों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और अध्यक्ष के निदेश के निदेश 58 को पढ़ा । तत्पश्चात् समिति ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के विभिन्न उपबंधों पर बैंकों और सरकारी उपक्रमों के प्रतिनिधियों के विचार सुने । साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

(तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गये)

4. तत्पश्चात् समिति ने अपनी बाद की बैठकों में विधेयक के संबंध में विभिन्न चयनित मंत्रालयों के सचिवों और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के भूतपूर्व निदेशकों के विचार सुनने का निर्णय लिया ।

5. तत्पश्चात् समिति ने निर्धारित समयावधि अर्थात् बजट सत्र, 2000 के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के प्रश्न पर विचार किया । इस संबंध में समिति ने महसूस किया कि उनके लिए अपना कार्य अगले सत्र (बजट सत्र 2000) के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक पूरा करना संभव नहीं होगा क्योंकि अभी उन्हें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों, भूतपूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्तों, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के भूतपूर्व निदेशकों और जनसाधारण से, जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित होने की इच्छा व्यक्त की है, के विचार सुनना बाकी है । इसके अलावा उन्हें अभी विभिन्न संगठनों द्वारा दिये गये ज्ञापनों पर विचार करना और विभिन्न चरणों जैसे विधेयक के उपबंधों पर सदस्य/सरकार से संभावित रूप से प्राप्त होने वाली संशोधनों की सूचना जैसे विभिन्न चरणों को पूरा करना है; (दो) विधेयक पर खण्डवार विचार; (।।।) विभक्त टिप्पण, यदि कोई हों, लगाने जिसे प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के पश्चात् सदस्यों द्वारा

दिया जा सकता है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए बजट सत्र 2000 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन तक समिति की कार्यावधि को बढ़ाने की मांग की जाये ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

III

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति की तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश ।

समिति की बैठक गुरूवार 16 मार्च, 2000 को 14.00 बजे से 16.30 बजे तक हुई ।

सदस्य

उपस्थित

लोक सभा

श्री शरद पवार - सभापति

2. श्री रशीद अलवी
3. श्री पवन कुमार बंसल
4. श्री रघुनंदन लाल भाटिया
5. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया
6. श्री अनंत गुढे
7. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी
8. श्री सी. कुप्पुसामी
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री अनादि साहू
11. डा. नीतिश सेनगुप्ता
12. श्रीमती वसुन्धरा राजे

राज्य सभा

13. श्री एम. वैंकय्या नायडू
14. श्री वेद प्रकाश पी. गोयल
15. श्री सी. राम चन्द्रैया
16. श्री कुलदीप नैय्यर
17. श्री अमर सिंह

सचिवालय

1. श्री पी.डी.टी. अचारी - संयुक्त सचिव
2. श्री राम अवतार राम - निदेशक
3. श्री पी.डी. मालवालिया - अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के प्रतिनिधि

1.	श्री बी.बी. टंडन	:	सचिव
2.	श्री डी.सी. गुप्ता	:	अपर सचिव
3.	श्री आर.के. जैन	:	निदेशक
4.	श्री जुगल किशोर	:	अवर सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1.	श्री एन.के. नम्पूथिरी	:	उप विधायी सलाहकार

2. समिति ने निम्नलिखित व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य लिया :

1.	डा0 आर.के. राघवन	:	निदेशक, सी बी आई
2.	श्री यू.सी. अग्रवाल	:	पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

3. आरंम्भ में, सभापति ने पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त श्री यू.सी. अग्रवाल का स्वागत किया और अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 को पढ़कर सुनाया । तत्पश्चात् समिति ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के विचार सुनें ।

(तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गये)

4. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी बी आई) के निदेशक डा0 आर.के. राघवन के विचार सुने ।

साक्ष्य का शब्दश: रिकार्ड रखा गया ।

(तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गये)

5. तत्पश्चात् समिति ने अपनी उत्तरवर्ती बैठकों में भारत सरकार के विभिन्न चुनिंदा मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के विचार सुनने का निर्णय किया ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति की चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश

.....

समिति की बैठक गुरूवार, 11 मई, 2000 को 15.00 बजे से 16.30 बजे तक हुई ।

सदस्य

उपस्थित

लोक सभा

श्री शरद पवार - सभापति

2. श्री रशीद अल्वी
3. श्री समर चौधरी
4. श्री प्रिय रंजन दासमुंशी
5. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति
8. श्री अनादि चरण साहू
9. डा0 नीतिश सेनगुप्ता
10. डा0 रघुवंश प्रसाद सिंह

राज्य सभा

11. श्री एम. वेंकैय्या नायडू
12. श्री वेदप्रकाश पी. गोयल
13. श्री रंगनाथ मिश्र
14. श्री वी.पी. दुरासामी
15. श्री सी. रामचन्द्रैय्या
16. श्री कुलदीप नैय्यर

सचिवालय

1. श्री राम अवतार राम - निदेशक
2. श्री पी.डी. मालवालिया - अवर सचिव

लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री डी.सी. गुप्ता : अपर सचिव (सतर्कता)
2. श्री आर.के. जैन : निदेशक (सतर्कता)
3. श्री जुगल किशोर : अवर सचिव

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री एन.के. नामपूर्थि : उप विधायी सलाहकार

समिति ने निम्नलिखित व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य लिया :-

1. श्री अरविन्द वर्मा, सचिव, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग
2. श्री ए.वी. गोकक, सचिव, उर्वरक विभाग
3. श्री दीपक चटर्जी, सचिव, खान विभाग

2. सर्वप्रथम, सभापति ने साक्षियों का स्वागत किया और अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 को पढ़ा। तत्पश्चात्, समिति ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के विभिन्न उपबंधों पर उनके विचार सुने ।

साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है ।

तत्पश्चात्,
(साक्षी साक्ष्य देकर चले गए)

3. तत्पश्चात्, समिति ने 16 मई, 2000 के लिए निर्धारित अपनी अगली बैठक में परिवार कल्याण विभाग, सरकारी उपक्रम विभाग और विनिवेश विभाग के सचिवों के विचार सुनने के अतिरिक्त वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग और बीमा प्रभाग) राजस्व विभाग और व्यय विभाग के सचिवों तथा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के विचार भी सुनने का निर्णय लिया ।

4. तत्पश्चात् समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु समयावधि को मानसून सत्र, 2000 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिवस तक बढ़ाने का अनुरोध करने का निर्णय लिया ।

5. तत्पश्चात् समिति ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 पर खण्डवार विचार करने के लिए 30 और 31 मई, 2000 को मुम्बई में अपनी आगामी बैठक करने का निर्णय लिया ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति की पांचवी बैठक का कार्यवाही-सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 16 मई, 2000 को 15.00 बजे से 17.30 बजे तक हुई ।

सदस्य

उपस्थित

लोक सभा

श्री शरद पवार - सभापति

2. श्री पवन कुमार बंसल
3. श्री रघुनंदन लाल भाटिया
4. श्री समर चौधरी
5. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलोया
6. श्री प्रियरंजन दासमुंशी
7. श्री अनंत गुढे
8. श्री सी. कुप्पुसामी
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति
11. श्री बलराम सिंह यादव
12. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

राज्य सभा

13. श्री वेद प्रकाश पी. गोयल
14. श्री रंगनाथ मिश्र
15. श्री सी. रामचन्द्रैया
16. श्री कुलदीप नैय्यर
17. श्री अमर सिंह

सचिवालय

1. श्री राम अवतार राम - निदेशक
2. श्री पी.डी. मालवालिया - अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के प्रतिनिधि

1.	श्री डी.सी. गुप्ता	:	अपर सचिव (सतर्कता)
2.	श्री आर.के. जैन	:	निदेशक (सतर्कता)
3.	श्री जुगल किशोर	:	अवर सचिव

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1.	श्री एन.के. नम्पूथिरि	:	उप विधायी परामर्शदाता

समिति ने निम्नलिखित मंत्रालयों का मौखिक साक्ष्य लिया :-

1.	श्री ए.आर. नंदा, सचिव	परिवार कल्याण विभाग
2.	श्री जे.एस.विजयराघवन, सचिव	लोक उद्यम विभाग
3.	श्री प्रदीप बैजल, सचिव	विनिवेश विभाग
4.	श्री पी.जी. मार्कंड, सचिव	राजस्व विभाग
5.	श्री ई.ए.एस. सरमा, सचिव	आर्थिक कार्य विभाग
6.	श्री देवी दयाल, विशेष सचिव (बैंकिंग प्रभाग)	आर्थिक कार्य विभाग
7.	श्री बी.के. चतुर्वेदी, विशेष सचिव (बीमा प्रभाग)	आर्थिक कार्य विभाग
8.	श्री एस.एस. डावरा, निदेशक	प्रवर्तन निदेशालय

2. आरंभ में, सभापति ने परिवार कल्याण, लोक उद्यम तथा विनिवेश विभागों के सचिवों का स्वागत किया और अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 को पढ़ कर सुनाया । तत्पश्चात् समिति ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के विभिन्न उपबंधों पर उक्त विभागों के सचिवों के विचार सुने ।

(तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गये)

3. तत्पश्चात् सभापति ने वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग और आर्थिक कार्य विभाग) - (बैंकिंग प्रभाग और बीमा प्रभाग) के सचिवों का स्वागत किया और अध्यक्ष के निदेश के निदेश 58 को पढ़ने के पश्चात् केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के विभिन्न उपबंधों पर उनके विचार सुने ।

(तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गये)

4. तत्पश्चात् सभापति ने निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय का स्वागत किया और अध्यक्ष के निदेश के निदेश 58 को पढ़ने के पश्चात् केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के विभिन्न उपबंधों पर उनके विचार सुने ।

(तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गये)

साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है ।

5. तत्पश्चात् समिति ने विधेयक पर आम चर्चा के लिए अपनी अगली बैठक 30.5.2000 को नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया जिसे समिति ने 11.5.2000 को हुई अपनी पूर्व की बैठक में मुम्बई में आयोजित करने का निर्णय लिया था । समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार करने के लिए 12 और 13 जून, 2000 को भी बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति की छठी बैठक का कार्यवाही सारांश

....

समिति की बैठक मंगलवार, 30 मई, 2000 को 11.00 बजे से 11.40 बजे तक हुई ।

सदस्य

उपस्थित

लोक सभा

श्री शरद पवार - सभापति

2. श्री राशिद अलवी
3. श्री पवन कुमार बंसल
4. श्री आर.एल. भाटिया
5. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया
6. श्री प्रियरंजन दासमुंशी
7. श्री अनंत गुढे
8. श्री सी. कृष्णास्वामी
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री पी.एच. पाडियन
11. श्री अनादि साहू

राज्य सभा

12. श्री एम. वेंकैय्या नायडू
13. श्री वेद प्रकाश पी. गोयल
14. श्री रंगनाथ मिश्र
15. श्री कुलदीप नैय्यर

सचिवालय

1. श्री पी.डी.टी. अचारी - संयुक्त सचिव
2. श्री राम अवतार राम - निदेशक

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के प्रतिनि

1.	श्री बी.बी. टंडन	:	सचिव
2.	श्री डी.सी. गुप्ता	:	अपर सचिव (सतर्कता)
3.	श्री आर.के. जैन	:	निदेशक (सतर्कता)
4.	श्री जुगल किशोर	:	अवर सचिव

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती सुषमा जैन	:	संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदाता
2.	श्री एस.आर. धालिवाल	:	उप विधायी परामर्शदाता

2. समिति ने विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों से प्राप्त विभिन्न सुझावों के संबंध में विधेयक पर सक्षेप में विचार - विमर्श किया ।

3. बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड रखा गया है ।

4. तत्पश्चात् समिति ने 12.6.2000 को होने वाली अपनी अगली बैठक में वर्तमान केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त के विचारों को सुनने और बाद 13.6.2000 को विधेयक पर खण्ड-वार विचार करने का निर्णय लिया ।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति की सातवीं बैठक

का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार 12 जून, 2000 को 11.00 बजे से 11.30 बजे तक हुई।

सदस्य

उपस्थित

लोक सभा

श्री शरद पवार - सभापति

2. श्री रशीद अल्वी
3. श्री समर चौधरी
4. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी
5. श्री अनन्त गुढे
6. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी
7. श्री अनादि चरण साहू
8. डा0 नीतिश सेनगुप्ता
9. श्री बलराम सिंह यादव

राज्य सभा

10. श्री एम. वेंकैया नायडु
11. श्री वेद प्रकाश पी. गोयल
12. श्री रंगनाथ मिश्र
13. श्री वी.पी. दुरैसामी
14. श्री कुलदीप नैयर
15. श्री संजय निरूपम
16. श्री अमर सिंह

सचिवालय

1. श्री पी.डी.टी. आचारी - संयुक्त सचिव
2. श्री राम अवतार राम - निदेशक
3. श्री पी.डी. मालवालिया - अवर सचिव

2. आरम्भ में, समिति ने लोक सभा के वर्तमान सदस्य श्री राजेश पायलट के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और सभापति ने निम्नलिखित निधन संबंधी उल्लेख पढ़ा :-

"जैसा कि आप जानते हैं, श्री राजेश पायलट लोक सभा के वर्तमान सदस्य का रविवार ।। जून, 2000 को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया । वे पक्के देशभक्त और सक्रिय सांसद थे तथा सार्वजनिक जीवन में उनका अत्यधिक ओजस्वी प्रभाव था । लोगों को उनसे बहुत आशाएं थीं, जो मात्र 55 वर्ष की आयु में उनके निधन हो जाने से समाप्त हो गई हैं । वे सर्वप्रथम 1980 में लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे और उन्होंने सरकार और कांग्रेस पार्टी में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया । वे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य थे और उनमें काफी हिम्मत और धैर्य था और वे राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर सच्चाई के साथ अपनी बात कहने के लिए जाने जाते थे । उनका प्रेम भरा व्यक्तित्व था ।

समिति के सभी सदस्यों की ओर से हम श्री पायलट के दु:खद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं, और गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शान्ति मिले और शोक संतप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति मिले ।

तत्पश्चात् समिति ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा ।

3. तत्पश्चात् समिति ने केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त के साक्ष्य को और विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर सामान्य चर्चा को समिति की 13.6.2000 को होने वाली अगली बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया ।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति की आठवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

• • • • •

समिति की बैठक सोमवार, 13 जून, 2000 को 10•00 बजे से 12•45 बजे तक हुई ।

सदस्य

उपस्थित

लोक सभा

श्री शरद पवार - सभापति

2• श्री समर चौधरी
3• श्री प्रियरंजन दास मुंशी
4• श्री अनन्त गुढे
5• मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी
6• श्री अनादि चरण साहू
7• डा० नीतिश सेनगुप्ता
8• श्री रघुवंश प्रसाद सिंह
9• श्री बलराम सिंह यादव

राज्य सभा

10• श्री एम• वेंकय्या नायडू
11• श्री वेद प्रकाश पी• गोयल
12• श्री रंगनाथ मिश्र
13• श्री वी•पी• दुरै सामी
14• श्री सी• रामचन्द्रय्या
15• श्री कुलदीप नैयर
16• श्री संजय निरुपम
17• श्री एस• रामचन्द्रन पिल्लै
18• श्री अमर सिंह

सचिवालय

1• श्री पी•डी•टी• अचारी - संयुक्त सचिव
2• श्री राम अवतार राम - निदेशक
3• श्री पी•डी• मालवानिया - अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री बी.बी. टंडन - सचिव
2. श्री डी.सी. गुप्ता - अपर सचिव (सतर्कता)
3. श्री आर.के. जैन - निदेशक (सतर्कता)
4. श्री जुगल किशोर - अवर सचिव

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्रीमती सुषमा जैन - संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार
2. श्री एस.आर. धलेटा - उप विधायी सलाहकार

समिति ने निम्नलिखित व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य लिया :-

1. श्री एन. विट्ठल, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त
2. श्री वी.एस. माथुर, सतर्कता आयुक्त

2. सर्वप्रथम सभापति ने श्री एन. विट्ठल, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का स्वागत किया और अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 को पढ़ा । तत्पश्चात् समिति ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के विभिन्न उपबंधों पर उनके विचार सुने ।

(तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गये)

3. तत्पश्चात् सभापति ने श्री वी.एस. माथुर, सतर्कता आयुक्त का स्वागत किया और अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 58 को पढ़ा तत्पश्चात् समिति ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 के विभिन्न उपबंधों पर उनके विचार सुने ।

(तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गये)

साक्ष्य का शब्दशः रिकार्ड रखा गया ।

4. तत्पश्चात् समिति ने 17 और 18 जुलाई, 2000 को होने वाली अपनी अगली बैठकों में विधेयक पर खंडवार विचार करने का निर्णय लिया ।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति की नौवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 17 जुलाई, 2000 को 11.00 बजे से 16.30 बजे तक हुई ।

सदस्य

उपस्थित

लोक सभा

श्री शरद पवार - सभापति

2. श्री राशिद अलवी
3. श्री पवन कुमार बंसल
4. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
5. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलिया
6. श्री प्रियरंजन दासमुंशी
7. श्री अनन्त गुढे
8. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री पी.एच. पांडियन
11. श्री अनादि साहू
12. डा0 नीतीश सेन गुप्ता
13. डा0 रघुवंश प्रसाद सिंह
14. श्रीमती वसुन्धरा राजे

राज्य सभा

15. श्री एम. वेंकैया नायडु
16. श्री वेदप्रकाश पी. गोयल
17. श्री रंगनाथ मिश्र
18. श्री वी.पी. दुरईस्वामी
19. श्री सी. रामचन्द्रैया
20. श्री कुलदीप नैय्यर
21. श्री संजय निरुपम
22. श्री रामचन्द्रन पिल्लई

सचिवालय

1.	श्री पी.डी.टी. आचारी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री राम अवतार राम	-	निदेशक
3.	श्री पी.डी. मालवालिया	-	अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के प्रतिनिधि

1.	श्री बी.बी. टण्डन	:	सचिव
2.	श्री डी.सी. गुप्ता	:	उपर सचिव (सतर्कता)
3.	श्री आर.के. जैन	:	निदेशक (सतर्कता)
4.	श्री जुगल किशोर	:	अवर सचिव

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती सुषमा जैन	:	संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार
2.	श्री एस.आर. खेटा	:	उप विधायी सलाहकार

2. समिति ने इंडियन एयरलाइन्स के विमान जो 17.7.2000 को पटना हवाई दुर्घटनाग्रस्त हो गया, में बैठे 56 यात्रियों की मृत्यु पर गहन शोक व्यक्त किया। समिति ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त की। समिति ने दुर्घटना में मारे गये सभी व्यक्तियों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा।

3. तत्पश्चात् समिति ने सदस्यों द्वारा प्रत्येक खण्ड के बारे में दी गयी संशोधन सूचना के संदर्भ में विधेयक पर खण्डवार विचार किया और विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों पर एक आम सहमति बनायी।

4. निम्नलिखित संशोधनों को प्रस्तुत किया गया और सिद्धान्त रूप में स्वीकार किया गया :-

(एक) खण्ड 3(2)
पृष्ठ 2, पंक्ति 13
"चार" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित करें

(दो) खण्ड 3(3) (क)

पृष्ठ 2, पंक्ति 17
पंक्ति के अंत में
"और" के स्थान पर "अथवा" प्रतिस्थापित करें

(तीन) खण्ड 3(3)(ख) का पहला परन्तुक

पृष्ठ 2, पंक्ति 23
"तीन" के स्थान पर "दो" प्रतिस्थापित करें

(चार) खण्ड 3(3)(ख) का दूसरा परन्तुक

पृष्ठ 2, पंक्ति 27-29 तक
परन्तुक का लोप करें ।

(पांच) खण्ड 5(2)

पृष्ठ 3, पंक्ति 11
"तीन वर्ष" के स्थान पर "चार वर्ष" प्रतिस्थापित करें

(छह) खण्ड 5

पृष्ठ 3, पंक्तियां 22-24
वर्तमान उपखण्ड 5(6)(ख) के बाद
एक नया उपखण्ड (ग) निम्नलिखित अनुसार जोड़े
"भारत सरकार अथवा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के अधीन और आगे नियोजन
तथापि, संसदीय आयुक्त अपने कार्यालय की शेष अवधि के लिए केन्द्रीय संसदीय आयुक्त नियुक्त होने के लिए पात्र होगा ।"

(सात) खण्ड 6(1)

पृष्ठ 4, पंक्ति 4
"साबित कदाचार" शब्दों के पश्चात्
"अथवा उसके पद की दृष्टि से अशोभनीय आचरण"
शब्दों को जोड़ें

(आठ) खण्ड 6(2)

पृष्ठ 4, पंक्तियाँ 8-10
खण्ड में समुचित रूप से संशोधन किया जाए ताकि यह प्रावधान हो कि मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा सतर्कता आयुक्त जाँच के दौरान कार्यालय नहीं आयें ।

(नौ) खण्ड 7

पृष्ठ 4, पंक्ति 27
"केन्द्रीय सरकार" के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ें
"केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से"

(दस) खण्ड 14(1)

पृष्ठ 6, पंक्ति 26-27
"प्रत्येक वर्ष" के बाद और "राष्ट्रपति" से पहले निम्नलिखित जोड़ा जाए "वर्ष की समाप्ति के बाद जून के अंत तक"

(ग्यारह) खण्ड 17(3)

पृष्ठ 7, पंक्ति 14
"कर सकेगा" के स्थान पर "करेगा"
प्रतिस्थापित करें

(बारह) खण्ड 20

पृष्ठ 7, पंक्ति 27
"हिन्दी में लागू नहीं"

(तेरह) खण्ड 26
पृष्ठ 8, पंक्ति 35
"विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973
के स्थान पर "विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 2000"
प्रतिस्थापित करें ।

प्रवर्तन निदेशक के चयन हेतु "सत्य निष्ठा" और "अनुभव" की आवश्यकता भी विहित की जाए ।

(चौदह) खण्ड 26 (ड)
पृष्ठ 9, पंक्ति 11
"खण्ड (क) में निर्दिष्ट समिति" के स्थान पर
"प्रवर्तन निदेशक के परामर्श से" प्रतिस्थापित करें ।

(पन्द्रह) खण्ड 27 (क)
पृष्ठ 9, पंक्ति 19
"1999" के स्थान पर "2000" प्रतिस्थापित करें

(सोलह) खण्ड 27 (ख)
पृष्ठ 9, पंक्ति 36
"निदेशक" के स्थान पर "निवर्तमान निदेशक"
प्रतिस्थापित करें ।

(सत्रह) खण्ड 28 (2)
पृष्ठ 10, पंक्ति 20
"समाप्त" के स्थान पर
"अस्तित्वहीन" प्रतिस्थापित करें ।

(अठारह) "एकल निदेश" को शामिल [illegible] लगाना तथा पुनः पुनः स्थापित करना ।

(उन्नीस) केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक में प्रावधान करना कि नीति तथा प्रक्रिया संबंधी सभी मामले बहुमत निर्णय से तय हों ।

5. सदस्यों से प्राप्त ऐसे संशोधनों को अनुबंध में दिया गया है जिन पर समिति द्वारा विचार किया गया किन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया गया अथवा जिन्हें सदस्यों द्वारा वापस ले लिया गया ।

6. तत्पश्चात् समिति ने जनता से ज्ञापनों (33-42) के रूप में प्राप्त सुझावों पर विचार किया ।

7. तत्पश्चात् समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) समिति की 18.7.2000 को होने वाली अगली बैठक में उसके विचारार्थ विधेयक के खण्ड 8,19,27 का प्रारूप पुनः तैयार करे ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

अनुबंध

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति

समिति के सदस्यों से प्राप्त संशोधनों, जिन पर समिति द्वारा 17 जुलाई, 2000 को हुई अपनी बैठक में विचार किया गया किंतु उन्हें स्वीकार नहीं किया गया अथवा जिन्हें सदस्यों द्वारा वापस ले लिया गया, की सूची ।

(कार्यवाही सारांश का पैरा 5 देखिए)

क्रम सं0	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खण्ड सं0
1.	श्री पवन कुमार बंसल	2
	पृष्ठ 1, पंक्ति 12, उपखण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ें :- "(घग): "सतर्कता प्रशासन" का अर्थ होगा और उसमें उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषय सम्मिलित होंगे जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन कारित अपराधों की जांच करने या कराने या लोक सेवक द्वारा किए गए अपराध के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत उसी अभियोजन में आरोपित किया जाएगा;"	
2.	पृष्ठ 2 के आगे जहां कहीं "केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त" शब्द आयें, उनके स्थान पर "मुख्य सतर्कता आयुक्त" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं ।	3,4,5,6 और अन्य सभी खण्ड
3.	न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र पृष्ठ 2 पंक्ति 5-10 धारा 3(1) में आयोग के समझे गये संविधान के उपबंध का लोप किया जाये और धारा 4(1) आयोग के चयन के लिए एक व्यापक तंत्र का सुझाव देने वाले उपबंध को ध्यान में रखते हुए यह अभ्यास नये सिरे से आयोग का गठन करने के लिए किया जा सकता है जिसमें की गई सभी कार्यवाहियों के संरक्षण के लिए समझा गया उपबंध हो ।	3 (1)

4. श्री आदि चरण साहू

3(3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 17

"पुलिस" के बाद और "प्रशासन" से पहले "अथवा रक्षा सेवा का" अन्तःस्थापित करें ।

5. श्री अमर सिंह

3(3)(ख)

पृष्ठ 2 पंक्ति 21

"वित्त" शब्द के बाद निम्नलिखित जोड़ें :

"और बैंक में चेयरमैन/ कार्यकारी निदेशक के पदों अथवा बीमा क्षेत्र में समकक्ष पद पर रहे हों ।"

6. श्री रंगनाथ मिश्र

3(3)(ख)

पृष्ठ 2 पंक्ति 20

"अन्वेषणों" शब्द के बाद, "सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश" जोड़ें ।

§न्यायिक सेवा के अधिकारी को शामिल करने से कार्यात्मक लाभ होगा §

• 7. श्री संजय निरुपम

पृष्ठ 2, पंक्ति 15 से 26 — 3 (क) और (ख)

उपखण्ड 3(क) और (ख) का लोप किया जाए और उनके स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

(क) पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या दस वर्ष से अन्यून अवधि के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न रहे हों ।

(ख) किसी सशस्त्र बल का अधिकारी हो तथा उसका रैंक लेफ्टिनेंट जनरल से कम न हो ।

व्याख्या :

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के अधिकारी/पदाधारी के भ्रष्ट कृत्यों का पर्यवेक्षण और मानिटर करना है । संघ के अधीन किसी सिविल सेवा के अखिल भारतीय सेवा के पद पर रह चुके कोई व्यक्ति या किसी निगम या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में काम कर चुके व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते । उसके आचरण या कृत्यों में पारदर्शिता की उम्मीद करना कठिन है । अत: आयुक्त के पद पर वही व्यक्ति आसीन होना चाहिए जो न्यायिक सेवा या सशस्त्र बल से संबद्ध रहा हो ।

8. श्री अमर सिंह

पृष्ठ 2, पंक्ति 26

उपखण्ड 3(ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अंत:स्थापित किया जाए :- 3(3)(ग) (नया उपखण्ड)

(ग) "उच्च न्यायिक सेवा में कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण कर चुका हो ।"

8 क श्री रंगनाथ मिश्र

पृष्ठ 2, पंक्ति 27-29 3(4)

धारा 3(4) के अनुसार आयोग में सचिव की नियुक्ति की शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित है । केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त तीन या पांच व्यक्तियों के पैनल में से चयन करने के लिए यह शक्ति आयोग को दी जानी चाहिए ।

9. श्री पी.एच. पाटिल

पृष्ठ 3, पंक्ति 2 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए । 4(1)

"(ख) भारत के मुख्य न्यायाधीश

अथवा

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का समूह

(ङ) राज्य सभा की सदस्य"

10. श्री पवन कुमार बंसल

पृष्ठ 3, पंक्ति 2 4||1||

उपखण्ड ||1||(ग) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए :-

"(घ) राज्य विधान परिषद का नेता और विपक्ष का नेता - सदस्य

11. पृष्ठ 3, पंक्ति सं 3 में 4

स्पष्टीकरण में "लोक सभा" के पश्चात् "या राज्य विधान परिषद" जोड़ा जाए ।

12. पृष्ठ 3, पंक्ति 4 — 4

लोक सभा के पश्चात्
"अथवा राज्य विधान परिषद, जैसी भी
स्थिति हो," शब्द जोड़ा जाए ।

13. जस्टिस रंगनाथ मिश्र
पृष्ठ 2, पंक्ति 43 और पृष्ठ 3 पंक्ति 1 और 2

धारा 4 (1) के परन्तुक में "तीन नामित ऑफिस होल्डरस — 4(1)
के स्थान पर समिति निम्नलिखित से मिलकर
बनेगी -

क) प्रधान मंत्री
ख) लोक सभा अध्यक्ष
ग) केन्द्रीय गृह मंत्री
घ) लोक सभा में विपक्ष के नेता
ङ) राज्य सभा में विपक्ष के नेता ; और
च) राज्य सभा के उप-सभापति

14. जस्टिस रंगनाथ मिश्र

पृष्ठ 3, पंक्ति 7 — 5 (1)

उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों
के अधीन शब्दों का लोप किया जाए ।

जस्टिस रंगनाथ मिश्र
श्री संजय निरूपम

पृष्ठ 3, पंक्ति 8

"चार वर्ष" शब्द के स्थान पर "तीन वर्ष"
शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ।

जस्टिस रंगनाथ मिश्र

15. पृष्ठ 3, पंक्ति 10 — 5 (2).

"उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों
के अधीन" शब्दों का लोप किया जाए ।

16. पृष्ठ 4 पंक्ति 1-2 — खंड 5(1) का तीसरा परन्तुक

तीसरे परन्तुक की धारा 5 (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"परन्तु यह कि केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त अथवा सतर्कता आयुक्तों को न तो वेतन और न ही भत्तों तथा न ही छुट्टी अथवा पेंशन के संबंध में नियुक्ति के पश्चात् अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा ।"

17. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह

पृष्ठ 3 और 4, पंक्तियां 29-40 तथा 1-2 — 5(7) परन्तुक

परन्तुकों का लोप करें

18. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह — 6(1)

पृष्ठ 4, पंक्ति 3-7

सुझाव : मुख्य सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों को उनके पद से हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ का गठन किया जाना चाहिए ।

19. श्री अनादि साहू

पृष्ठ 4, पंक्ति 32 8(1)(क)

"अधीक्षण करने" के स्थान पर

"कार्यकरण का पर्यवेक्षण" प्रतिस्थापित करें

20. न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र

पृष्ठ 4, पंक्ति 32 8(1)(क)

"अधीक्षण" के स्थान पर "चक्षुर्विलोकन अथवा

पर्यवेक्षण" प्रतिस्थापित करें

21 श्री अनादि साहू

न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र

श्री संजय निरूपम

पृष्ठ 4, पंक्ति 37 8(1)(ख)

"जांच करना या" शब्दों का लोप करें

22. पृष्ठ 5, पंक्ति 6 8§1§§ग§

"जांच करना या" का लोप करें

23. श्री पवन कुमार बंसल

पृष्ठ 5, पंक्ति 4 8§1§§ग§

"किसी परिवाद" शब्दों के पश्चात्
"अथवा स्वप्रेरणा से" शब्दों को जोड़ें

24. श्री अमर सिंह

पृष्ठ 5, पंक्तियां 3-7 8§1§§ग§

खण्ड 8§1§§ग§ का लोप करें

25. श्री अनादि साहू

पृष्ठ 5, पंक्तियां 8-11 8§1§§घ§

खण्ड का लोप करें ।

26. श्री अमर सिंह

पृष्ठ 5, पंक्तियां 12-13 8§1§§ङ•§

खण्ड 8§1§§ङ•§ का लोप करें ।

27. न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र

पृष्ठ 5, पंक्ति 17 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ें 8§1§§च§

"आयोग की सलाह केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार न की जाने पर सलाह स्वीकार न किये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए एक सलाह स्वीकार न किये जाने के दो सप्ताह के अंदर संसद को भेजी जाए, जिसे सात संसद सदस्यों §चार सदस्य लोक सभा से तथा तीन सदस्य राज्य सभा से§ की एक सांविधिक समिति द्वारा

विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाए तथा उसके पश्चात् बाहुत सत्र में दो सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार किए जाने हेतु रिपोर्ट सहित उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए ।"

28. श्री पवन कुमार बंसल

पृष्ठ 5, पंक्ति 13 — 8§।§§छ§

उपखण्ड के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ें

"परन्तु यह कि अधीक्षण करने की शक्ति में किसी मंत्रालय, निगम अथवा कंपनी आदि के कार्यकरण के बारे में सामान्य नीति संबंधी निदेश देने की शक्ति सम्मिलित नहीं है ।"

29. श्री संजय निरूपम

"अधीक्षण करने" शब्द के लिए — 8§।§§छ§
"निगरानी करने" प्रतिस्थापित करें

30. न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र

पृष्ठ 5, पंक्ति 13 — 8§।§§छ§

"अधीक्षण" के लिए
"पुनर्विलोकन" अथवा "पर्यवेक्षण" प्रतिस्थापित करें

31. श्री अनादि साहु — 8§।§§ज§

पृष्ठ 5, पंक्ति 20 के पश्चात् — §नया उपखण्ड 3§

खण्ड 8§।§§छ§ के पश्चात् जोड़े

"(ज) उसके प्रभार के अंतर्गत न्यायिक कार्यालयों के सतर्कता प्रशासन के संबंध में उच्चतम न्यायालय तथा दिल्ली उच्च न्यायालय को जैसा कि संबद्ध न्यायालय द्वारा इसे निर्देश दिया जाए सलाह देना"

32. श्री पवन कुमार बंसल

पृष्ठ 5, पंक्ति 22 8(2)(क)

"संघ के मामलों के संबंध में सेवारत"
शब्दों का लोप करें ।

33. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह — 8(2)(क) और (ख)

पृष्ठ 5 पंक्ति 21-26

सुझाव : वेतन के रूप में निश्चित आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग की परिधि में लाया जाये ।

34. श्री पवन कुमार बंसल

पृष्ठ 5 पंक्ति 29 — नया उपखंड 8(2)(ग)

परन्तुक के बाद जोड़ें :
"(ग) आयोग के कर्मचारी वृन्द"

35 न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र

पृष्ठ 5 पंक्ति 29 के बाद जोड़ें : — उपबंध 8(2) के लिए नया उपबंध

धारा 8 (2) के परन्तुक में निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये :-

"परन्तु और यह कि धारा 8(1)(ग) में अपेक्षित ब्यौरे को अधिनियम लागू होने की तारीख से तीन महीने से अन्यून अवधि के भीतर अधिसूचित किया जाये ।"

36 श्री संजय निरूपम

पृष्ठ 5, पंक्ति 30 — 9(1)

विद्यमान खंड 9(1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"आयोग की कार्यवाहियां प्रधान कार्यालय में संचालित की जाएगी । तथापि, मामले की परिस्थितियां पर निर्भर रहते हुए, आयोग यदि उचित समझे तो अपनी कार्य प्रधान कार्यालय से अन्यक स्थानों पर कर सकता है ।"

स्पष्टीकरण :

स्थान की सीमा प्रधान कार्यालय रखने से अनावश्यक रूप से कानूनी पेचीदगियां पैदा होने की पूरी संभावना है ।

37 श्री आदि चरण साहू

पृष्ठ 6 पंक्ति 9-18 ।।

विद्यमान खण्ड ।। के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :

"आयोग धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और (ग) में उल्लिखित मामले की जांच करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है । प्राधिकृत व्यक्ति को सिविल न्यायालयों की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।"

38 न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र

पृष्ठ 6 पंक्ति 9-18 ।।

धारा ।। में, चूंकि आयोग प्रत्यक्ष रूप से कोई भी जांच नहीं करेगी, जैसा कि प्रस्ताव किया गया है, इसलिए उसमें की गई शक्तियां जांच कर रहे अधिकारी में निहित होंगी ।

39 श्री संजय निरुपम

पृष्ठ 7, पंक्ति 17 13

"सामान्य पर्यवेक्षण करने" के स्थान पर

"निगरानी रखने तथा सामान्य पर्यवेक्षण करने"

प्रतिस्थापित करें

व्याख्या :

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का प्राधिकार निगरानी रखने तथा पर्यवेक्षण करने तक सीमित होना चाहिए । केन्द्रीय सतर्कता आयोग केन्द्रीय सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त कार्यकरण हेतु सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अथवा जवाबदेही नहीं ले सकता ।"

40 श्री पवन कुमार बंसल

पृष्ठ 7, पंक्ति 20-24 — 19

खंड 19 का लोप करें ।

41. न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र

पृष्ठ 7, पंक्ति 24 के बाद जोड़ें — 19 का और परन्तुक

"परन्तु यह कि यदि आयोग का दृष्टिकोण हो कि न्याय की दृष्टि से किसी विशेष मामले को विशेष रूप से निपटाया जाए तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयोग का दृष्टिकोण विधि अनुरूप है, उस उच्च न्यायालय को रिपोर्ट देगा जिसके क्षेत्रीय अधिकारिता में यह मामला आता हो । उच्च न्यायालय को निर्णय से प्रभावित होने वाली पार्टियों की बातें सुनने के पश्चात् मामले का निपटान आयोग द्वारा सौंपे जाने के तीन महीने के अंदर कर देना चाहिए ।"

42. न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र

पृष्ठ 8, पंक्ति 18 — 24(1)(i) का परन्तुक

"दो वर्षों" के स्थान पर "एक वर्ष" प्रतिस्थापित करें ।

43. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह

पृष्ठ 7, पंक्ति 36 — 22(1)(i)

"पूर्व अनुमोदन से", के स्थान पर "परामर्श से" प्रतिस्थापित करें ।

44 श्री रघुवंश प्रसाद सिंह

पृष्ठ 9, पंक्ति 7 26(ग)

"दो वर्ष से अन्यून" के स्थान पर "पांच वर्ष से अन्यून अथवा सेवानिवृत्ति तक, जो भी पहले हो, इस शर्त के अधीन कि तीन वर्षों का कार्यकाल प्रदान किया जाएगा ।"

45 अनादि साहू

पृष्ठ 9, पंक्ति 17-19 तथा 21-29 का लोप करें 27(क)तथा (ख)

46 पृष्ठ 9, पंक्ति 35 के बाद निम्नलिखित जोड़े

(ख) किसी केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल(सीपीएमएफ) के महानिदेशक अथवा निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, अथवा निदेशक, आसूचना सदस्य के रूप में कार्यरत वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी - सदस्य

47 पृष्ठ 9, पंक्ति 36-37 का लोप करें ।

48 श्री कुलदीप नैय्यर

पृष्ठ 10, पंक्ति 17 के बाद निम्नलिखित जोड़ें 27 नया उपखंड (ग)

"धारा 5 की कोई बात दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के किसी सदस्य को संघ राज्य क्षेत्र न होने वाले किसी राज्य के किसी क्षेत्र या रेल क्षेत्र या केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में शक्तियों/ अधिकारिता के प्रयोग के लिए समर्थ करने वाली नहीं समझी जाएगी ।"

49 श्री रघुवंश प्रसाद सिंह

सुझाव : केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के चयन की भांति प्रवर्तन निदेशक, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा सतर्कता आयुक्तों के चयन के लिए सत्यनिष्ठा तथा अनुभव की आवश्यकता भी निर्धारित की जानी चाहिए ।

50 पृष्ठ ।।

उद्देश्यों और कारणों का कथन
पैराग्राफ 3 का लोप करें ।

51 उद्देशिका में "केन्द्रीय सरकार" के पश्चात तथा "और" के पहले निम्नलिखित अंतःस्थापित करें " और प्रशासनिक कार्य करने वाले न्यायालय के सदस्य

52 श्री पवन कुमार बंसल

सामान्य सुझाव

मेरा यह भी सुझाव है कि प्रतिवेदन में निम्नलिखित (किसी भी प्रकार के संशोधन के साथ) को भी शामिल किया जाए :

" समिति की राय है कि प्रशासन तथा सार्वजनिक जीवन में लोगों का विश्वास पैदा करने के लिए भ्रष्टाचार से लड़ना होगा और जीवन के हर क्षेत्र से भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा ।

संसद सदस्यों के व्यवहार पर निगरानी रखने हेतु एक आंतरिक तंत्र उपलब्ध कराने के लिए राज्य सभा तथा लोक सभा ने अपनी-अपनी आचार समितियाँ गठित की है । तथापि, समिति की यह भी राय है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि राजनेता ईमानदारी और नैतिकता के उच्च स्तर को दर्शाएं, संसद को एक व्यापक कानून (लोकपाल अधिनियम) भी बनाना चाहिए ।"

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति
की दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

....

समिति की बैठक मंगलवार, 18 जुलाई, 2000 को 10.00 बजे से 13.30 बजे तक हुई ।

सदस्य

उपस्थित

लोक सभा

श्री शरद पवार - सभापति

2. श्री राशिद अल्वी
3. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया
4. श्री प्रियरंजन दासमुंशी
5. श्री अनंत गुढे
6. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूरी
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री पी.एच. पाठियन
9. श्री अनादि साहू
10. डा0 नीतिश सेनगुप्ता
11. डा0 रघुवंश प्रसाद सिंह
12. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

राज्य सभा

13. श्री एम. वेंकैया नायडू
14. श्री वेद प्रकाश पी. गोयल
15. श्री रंगनाथ मिश्र
16. श्री हंसराज भारद्वाज
17. श्री कुलदीप नैयर
18. श्री संजय निरूपम
19. श्री एस. रामचन्द्रन पिल्लै

सचिवालय

1.	श्री पी.डी.टी. अचारी	- संयुक्त सचिव
2.	श्री राम अवतार राम	- निदेशक

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के प्रतिनिधि

1.	श्री बी.बी. टंडन	:	सचिव
2.	श्री डी.सी. गुप्ता	:	अपर सचिव (सतर्कता)
3.	श्री आर.के. जैन	:	निदेशक (सतर्कता)
4.	श्री जुगल किशोर	:	अवर सचिव

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती सुषमा जैन	:	संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदात्री
2.	श्री आर.एस. धालिवाल	:	उप विधायी परामर्शदाता

2. आरंभ में, समिति ने ज्ञापन सं0 1 से 32 के रूप में जनता से प्राप्त हुए सुझावों और इन पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) की टिप्पणियों पर विचार किया ।

3. तत्पश्चात् समिति ने कार्मिक, लोक शिकायत/पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा पुन: तैयार किए गए खण्ड 8, 19 और 27 के संबंध में विधेयक पर खण्ड-वार विचार किया और उन खण्डों में किए जाने वाले संशोधनों पर आम सहमति बनायी जिन्हें सिद्धांत के तौर पर निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया गया :-

(एक) खण्ड 8 (1) (क)

पृष्ठ 4, पंक्ति 33-36

विद्यमान उप खंड 8 (1) (क) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें

"(क) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के कार्यकरण का अधीक्षण करना जहां तक यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभिकथित रूप से कारित अपराधों अथवा किसी ऐसे अपराध के, जिससे किसी लोक सेवक को, जिस पर इस अधिनियम के अंतर्गत आयोग का क्षेत्राधिकार लागू होता है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा ।

परन्तु आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग ऐसी रीति में नहीं करेगा जिससे कि यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन से किसी विशिष्ट मामले का अन्वेषण या निपटारा केवल विशिष्ट रीति में करने की अपेक्षा करता हो ।

(दो) पृष्ठ 5, पंक्ति 20 के बाद

खण्ड 8 में नया उप खण्ड जोड़ें

"आयोग समय-समय पर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन को, उसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए निदेश देगा ।"

(तीन) खण्ड 8(1) (छ)

पृष्ठ 5, पंक्ति 20

"प्रशासन के ऊपर" और "अधीक्षण रखना" शब्दों के बीच निम्नलिखित जोड़ें :

"सरकार द्वारा सतर्कता मामलों के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार"

"परन्तु यह कि इस खण्ड में शामिल कोई भी बात आयोग को नीतिगत मामलों के संबंध में कोई निदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करना नहीं समझी जायेगी ।

§चार§ खण्ड 8§2§
पृष्ठ 5, पंक्ति 21-26
(क) खण्ड 8§2§ में निम्नलिखित जोड़ें

"किसी केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निगम, सरकारी कंपनी, सोसायटी और अन्य स्थानीय अधिकरणों जो केन्द्रीय सरकार की मालकियत अथवा नियंत्रण में हों, के मामले में बोर्ड स्तर से एक स्तर नीचे तक और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में स्केल 5 और ऊपर तक के अधिकारी सम्मिलित होंगे । परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके उक्त निगमों, कंपनियों, सोसायटियों, और स्थानीय अधिकरणों के अधिकारियों के स्तर के वे ही व्यक्ति होंगे जो उप धारा । के खण्ड §ग§ में दिये हों ।"

§ख§ यह संकेत देने के लिए एक उपयुक्त खण्ड सम्मिलित किया जाएगा कि सरकारी होल्डिंग/इक्विटी 50 प्रतिशत से कम होने पर बोर्ड में सरकार के प्रतिनिधि ही केन्द्रीय सतर्कता आयोग के क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत आयेंगे और कंपनी के अन्य अधिकारी नहीं आयेंगे ।

§पांच§ खण्ड 19
पृष्ठ 7, पंक्ति 20-24
खण्ड 19 का लोप किया जाए ।

समिति ने प्रतिवेदन में निम्नलिखित सामान्य सिफारिशें करने का निर्णय लिया :-

<u>सामान्य सिफारिशें</u>

(एक) निर्णय लेने वाले स्तरों पर सद्भावी कार्यवाहियों को संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है । [illegible] विधेयक में एकल निदेश के रूप में एक उपबंध अंतर्विष्ट किया जाए ।

(दो) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच के शीघ्र निपटान के लिए अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए जाने वाले नियमों/विनियमनों में समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ।

(तीन) लोक सेवक को आयोग के कारण बताओ नोटिस का नियमों/विनियमनों के तहत जवाब देना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए ।

(चार) वास्तविक मामलों में शिकायतकर्ता को समुचित इनाम देने के लिए विनियमनों के माध्यम से प्रावधान किया जाना चाहिए ।

(पांच) प्रारूप विधेयक में अंतर्विष्ट 'उद्देश्यों और कारणों के कथन' के कतिपय पहलुओं के संबंध में संयुक्त समिति के आशय को सरकार को प्रेषित कर दिया जाए ।

5. तत्पश्चात् समिति ने विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) से इच्छा व्यक्त की कि समिति द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों को शामिल करने के पश्चात् प्रारूप संशोधित विधेयक को लोक सभा सचिवालय को शीघ्र प्रस्तुत करे ।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक संशोधित विधेयक के साथ अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए 10 अगस्त, 2000 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति की 11वीं बैठक का कार्यवाही सारांश ।

समिति की बैठक बृहस्पतिवार 16 अगस्त, 2000 को 1500 बजे से 1515 बजे तक हुई ।

सदस्य

उपस्थित

लोक सभा

श्री शरद पवार - सभापति

2. पवन कुमार बंसल
3. श्री समर चौधरी
4. श्रीमती भावनाबेन चीखलीया
5. श्री प्रिय रंजन दासमुंशी
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति
8. श्री अनादि चरण साहू
9. डा0 नीतिश सेनगुप्ता

राज्य सभा

10. श्री एम. वेंकय्या नायडू
11. श्री वेदप्रकाश पी. गोयल
12. श्री रंगनाथ मिश्रा
13. श्री हंस राज भारद्वाज
14. श्री सी. रामचन्द्रय्या
15. श्री कुलदीप नैय्यर
16. श्री संजय निरूपम
17. श्री एस. रामचन्द्रन पिल्लै

सचिवालय

1.	श्री पी.डी.टी. आचारी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री राम अवतार राम	-	निदेशक
3.	श्री पी.डी. मालवालिया	-	अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के प्रतिनिधि ।

1.	श्री बी.बी. टंडन	-	सचिव
2.	श्री डी.सी. गुप्ता	-	अपर सचिव (सतर्कता)
3.	श्री आर.के. जैन	-	निदेशक (सतर्कता)
4.	श्री जुगल किशोर	-	अवर सचिव

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती सुषमा जैन	:	संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता
2.	श्री एस.आर. धलेटा	:	उप विधायी परामर्शदाता

2. समिति ने टिप्पणी की कि संशोधित प्रारूप विधेयक, विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय से बहुत विलंब से प्राप्त हुआ था और सदस्यों के पास इस विधेयक पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था । इसके अलावा विधेयक पर खण्डवार विचार करते समय समिति द्वारा लिये गये कुछ निर्णय संशोधन प्रारूप विधेयक में शामिल नहीं किये गये थे । इसे देखते हुए समिति प्रारूप प्रतिवेदन और संशोधित विधेयक पर न तो विचार कर पायी न इसे स्वीकार किया जा सका और समिति ने चाहा कि विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा विधेयक का पुन: प्रारूप तैयार किया जाए जिसमें समिति द्वारा सुझाए गये सभी संशोधन

शामिल हों । चूंकि इस प्रक्रिया में कुछ समय लगने की संभावना है अत: समिति महसूस करती है कि समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन वालू मानसून सत्र, 2000 के अंतिम दिन, तक जिस दिन तक के लिए समिति को समय बढ़ाने की स्वीकृति दी गयी थी, सभा में प्रस्तुत करना संभव नहीं होगा । अत: समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए शीतकालीन सत्र, 2000 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक और समय बढ़ाने का अनुरोध करने का निर्णय लिया ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति की बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 31 अक्तूबर, 2000 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक समिति कक्ष "ग" संसदीय सौध, नई दिल्ली में होगी ।

सदस्य

उपस्थित

लोक सभा

श्री शरद पवार - सभापति

2. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया
3. श्री समर चौधरी
4. श्रीमती भावनाबेन चीखलीया
5. श्री प्रिय रंजन दासमुंशी
6. श्री अनंत गुढे
7. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी
8. श्री सी. कुप्पुसामी
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री पी.एच. पांडियन
11. श्री अनादि चरण साहू
12. डा0 नीतिश सेनगुप्ता
13. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह
14. श्री बलराम सिंह यादव
15. श्रीमती वसुन्धरा राजे

राज्य सभा

16. श्री वेद प्रकाश पी. गोयल
17. श्री रंगनाथ मिश्र
18. श्री हंसराज भारद्वाज
19. श्री कुलदीप नैय्यर

सचिवालय

1.	श्री पी.डी.टी.अचारी	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री राम अवतार राम	-	निदेशक
3.	श्री पी.डी. मालवालिया	-	अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री बी.बी. टंडन - सचिव
2. श्री डी.सी. गुप्ता - अपर सचिव (सतर्कता)
3. श्री आर.के. जैन - निदेशक (सतर्कता)
4. श्री जुगल किशोर - अवर सचिव

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्रीमती सुषमा जैन - संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शदात्री
2. श्री एस.आर. धालेता - उप विधायी परामर्शदाता

2. आरंभ में सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया ।

3. तत्पश्चात् समिति ने यथा संशोधित विधेयक पर विचार किया और कतिपय उपांतरों सहित उसे स्वीकार किया ।

4 तत्पश्चात् समिति ने कतिपय संशोधनों सहित अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया ।

5. तत्पश्चात् सभापति ने टिप्पणी की कि समिति का प्रतिवेदन समिति द्वारा लिये गये बहुमत निर्णय पर आधारित है परन्तु कोई भी सदस्य प्रतिवेदन अथवा इसके किसी भाग से असहमत है तो वह विधेयक अथवा प्रतिवेदन से संबंधित किसी भी मामले पर "विमत टिप्पण" दे सकता है और सभापति ने घोषणा की कि "विमत टिप्पण" यदि कोई हो 7 नवम्बर, 2000 को 17.00 बजे तक लोक सभा सचिवालय को अवश्य भेजे जा सकते हैं और उस पर समिति ने अपनी सहमति जाहिर की ।

6. समिति ने प्रतिवेदन और साक्ष्य के रिकार्ड शीतकालीन सत्र, 2000 के आरंभ होने के दूसरे दिन संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने/सभा पटल पर रखे जाने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया ।

7. समिति कार्मिक, लोकशिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए उनकी सराहना करती है ।

8. समिति लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी मामलों में समिति के कार्य को सुकर बनाने और प्रारूप प्रतिवेदन को अविलंब तैयार करने हेतु उनके कठिन परिश्रम और सहायता की सराहना करती है ।

9. सभापति ने उपरोक्त अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए अति अनुकूल माहौल में समिति की कार्यवाही का संचालन करने में उन्हें पूर्ण सहयोग देने के लिए समिति के सदस्यों को भी धन्यवाद दिया ।

10. समिति के सदस्य समिति की कार्यवाही का बड़े कुशल और निष्पक्ष रूप से संचालन करने तथा विधेयक के विभिन्न स्तरों पर उनके विचार विमर्श का मार्गदर्शन करने हेतु सभापति (श्री शरद पवार) का भी हार्दिक धन्य देते हैं ।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।